उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग – 2

संख्या –क0 नि0–2 –819/ग्यारह–9 (42)/17–उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम 2017–आदेश–(04)–2017

लखनऊः दिनांकः 28 जून, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थातः :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली 2017 कही जायेगी ।

(2) यह दिनांक 29 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं–– जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

(क) ''अधिनियम'' से उत्तरप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 1) अभिप्रेत है :

(ख) ''प्ररूप'' से इस नियमावली से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है :

(ग) ''धारा'' से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है :

(घ) ''विशेष आर्थिक जोन'' का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 28 सन 2005) की धारा 2 के खंड (यक) में समनुदेशित है :

(ड़) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं ।

अध्याय 2

प्रशमन नियम

3. प्रशमन उद्ग्रहण के लिए सूचना––

(1) कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया हो और जो धारा 10 के अधीन कर के संदाय का विकल्प देता हो, नियत दिन से पूर्व किन्तु उक्त दिन के पश्चात् तीस दिन के अंतर्गतया ऐसी अग्रतर अवधि, जैसा कि आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ायी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी–01 में इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना फाइल करेगा :

परंतु जहां प्ररूप जीएसटी सीएमपी–01 की सूचना नियत दिन के पश्चात् फाइल की जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्याक्ति नियत दिन से कोई कर संगृहीत नहीं करेगा किन्तु उक्त दिन के पश्चात् की गई पूर्तियों के लिए पूर्ति का बिल जारी करेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 के भाग ख में धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प् दे सकेगा, जिसे उक्त धारा के अधीन कर संदाय करने की सूचना के रूप में समझा जाएगा ।

(3) कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प देता है, उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले, जिसके लिए पूर्वोक्त धारा के अधीन कर संदाय के विकल्प का प्रयोग किया गया है या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्तू द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्याम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी–02 में सूचना फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से साठ दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आईटीसी–3 में विवरण देगा ।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल करता है, स्टाक के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उस तारीख से पूर्ववर्ती दिन को, जिससे वह उक्त धारा के अधीन कर संदाय करने का विकल्प देता है, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्यिों से प्राप्त उसके द्वारा धारित माल की आवक पूर्ति भी सम्मिलित है, उस तारीख से, जिस तारीख को प्रशमन उद्ग्रहण के विकल्प का प्रयोग किया जाता है या ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर, जैसा कि आयुक्त द्वारा इस निमित्ति बढ़ायी जाए या तो प्रत्यध्क्ष रूप से या आयुक्त

द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों के माध्यम से सामान्यि पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी सीएमपी–03 में देगा ।

(5) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कारोबार स्थल के सम्बन्ध में उपनियम (1) या उपनियम (3) के अधीन किसी भी सूचना को उसी स्थायी लेखा संख्या पर रजिस्ट्रीकृत समस्त अन्य कारबार स्थलों से सम्बन्धित सूचना समझा जाएगा ।

4. प्रशमन उद्ग्रहण की प्रभावी तारीख– (1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प उस वित्तीय वर्ष के, जहाँ नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन सूचना फाइल की गई है और वह नियत दिन जहाँ उक्त, नियम के उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल की गई हो , आरंभ होने पर प्रभावी होगा ।

(2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन सूचना पर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा और धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए उसका विकल्प नियम 10 के उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन नियत तारीख से प्रभावी होगा ।

5. प्रशमन उद्ग्रहण की शर्तें और निर्बंधन– (1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करना होगा, अर्थात् :––

(क) वह न तो आकस्मिनक कराधेय व्यरक्ति हो और न ही अनिवासी कराधेय व्यक्ति हो ।

(ख) जहां विकल्प का प्रयोग नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन किया जाए, वहां उसके द्वारा नियत दिन को स्टाक में धारित माल का क्रय अंतर्राज्यीय व्याकपार या वाणिज्य के दौरान न किया गया हो या भारत से बाहर किसी स्थान से आयात न किया गया हो या राज्य के बाहर स्थित उसकी शाखा से या राज्यथ के बाहर उसके अभिकर्ता या प्रधान से प्राप्त् न किया गया हो ;

(ग) उसके द्वारा स्टा्क में धारित माल का क्रय किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्ति कर्ता से न किया गया हो और जहां क्रय किया गया हो वहां वह धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करता है ;

(घ) वह माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति पर धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करेगा ;

(ड.) वह पूर्ववर्ती वित्तीक वर्ष के दौरान धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ड.) के अधीन यथा अधिसूचित माल के विनिर्माण में नहीं लगा हुआ था ;

(च) उसे अपने द्वारा जारी पूर्ति के बिल के ऊपरी सिरे पर ''प्रशमन कराधेय व्यक्ति, पूर्तियों पर कर संग्रहण के लिए पात्र नहीं'' शब्दो का उल्लेख करना होगा ; और

(छ) उसे अपने कारबार के मुख्य स्थान पर स्थित प्रमुख स्थान पर और प्रत्येक अतिरिक्त) कारबार के स्थान या स्थानों पर प्रदर्शित प्रत्येनक नोटिस या साइन बोर्ड पर ''प्रशमन कराधेय व्यक्ति'' शब्दों का उल्लेख करना होगा ।

(2) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रति वर्ष नई सूचना नहीं फाइल करना होगा और वह अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबंधों अध्याधीन उक्त धारा के अंतर्गत कर संदाय करता रह सकेगा ।

6. प्रशमन उद्ग्रहण की विधिमान्यता – (1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प) तब तक विधिमान्य रहेगा, जब तक वह उक्त धारा और इस नियमावली के अधीन उल्लिखित सभी शर्तों की पूर्ति करता है ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उस दिन से जब वह धारा 10 या इस अध्याय के उपबंधों में उल्लिखित किसी शर्त का समाधान करने से प्रविरत हो जाता है , धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन कर संदाय करने का दायी होगा और उसे तत्पश्चात की गई प्रत्येवक कराधेय पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करना होगा और उसे ऐसी घटना के घटित होने के सात दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी सीएमपी–04 में स्कीम से प्रत्याहरण के लिए सूचना भी फाइल करना होगा।

(3) ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो प्रशमन स्कीम से प्रत्याहरित करना चाहता हो, ऐसे प्रत्याहरण की तारीख से पूर्व सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रा निक सत्यायपन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी– 04 में इलेक्ट्रानिक रूप में आवेदन फाइल करना होगा ।

(4) जहां उचित अधिकारी के पास यह विश्वाूस करने का कारण हो कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए पात्र नहीं था या उसने अधिनियम के उपबंधों या इस अध्यांय के उपबंधों का उल्लंघन किया है, वहां वह प्ररूप जीएसटी सीएमपी– 05 में ऐसे व्यंक्तिब को एक नोटिस जारी कर सकता है जिसमें ऐसी नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर यह कारण बताना होगा कि क्यों न, धारा 10 के अधीन कर संदाय के विकल्प को अस्वीकृत कर दिया जाये ।

(5) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से उपनियम (4) के अधीन जारी कारण बताओ नोटिस के प्ररूप जीएसटी सीएमपी– 06 में उत्तर प्राप्त किये जाने पर उचित अधिकारी को ऐसे उत्तर की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिाति, विकल्प की तारीख से या ऐसे उल्ल्ंघन से संबंधित घटना की तारीख से धारा 10 के अधीन उत्तर स्वीकार करते हुए या कर संदाय करने का विकल्प अस्वीकार करते हुए प्ररूप जीएसटी सीएमपी– 07 में आदेश जारी करना होगा ।

(6) प्रत्येंक व्यक्ति , जिसने उपनियम (2) के अधीन सूचना दी हो या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण हेतु आवेदन फाइल किया हो या ऐसा व्यक्ति, जिसके सम्बन्ध में उपनियम (5) के

अधीन प्ररूप जीएसटी सीएमपी– 07 में विकल्प प्रत्याहरण का आदेश पारित किया गया हो सामान्यि पोर्टल पर प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आईटीसी– 01 में, यथास्थिधति, उस तारीख से, जिस तारीख को विकल्प प्रत्याहरित किया गया हो या प्ररूप जीएसटी सीएमपी– 07 में पारित आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप से विवरण दे सकेगा, जिसमें उस तारीख को, जिस तारीख को विकल्पक प्रत्याहरित या अस्वीकृत किया गया हो , उसके द्वारा स्टाक में धारित इनपुटों के स्टाक और अर्द्ध तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के ब्यौरे होंगे ।

(7) किसी राज्य या संघ राज्याक्षेत्र में किसी कारबार के स्थान के सम्बन्ध में उपनियम (5) के अनुसार उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन प्रत्या हरणके लिए या धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के विकल्प के अस्वीकृत किए जाने के लिए किसी सूचना या आवेदन को उसी स्थायी लेखा संख्या पर रजिस्ट्रीकृत समस्त अन्य कारबार के स्थानों से सम्बन्धित सूचना समझा जाएगा ।

7. प्रशमन उद्ग्रहण के कर की दर – धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंम्भ (2) में विनिर्दिष्ट पात्र रजिस्ट्री्कृत श्रेणी के व्यक्तियों को धारा 10 के अधीन उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दर पर कर का संदाय करना होगा :

क्रं0 सं0	राजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की श्रेणी	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1	सरकार द्वारा अधिसूचित माल से भिन्न विनिर्मातागण	एक प्रतिशत
2	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्टा पूर्तियां करने वाले पूर्ति कर्तागण	ढाई प्रतिशत
3	धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रशमन संयुक्ति उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य् पूर्तिकर्ता	आधा प्रतिशत

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण

8. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन–– (1) किसी अनिवासी कराधेय आधा प्रतिशत, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कटौती के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति, धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन 2017 , की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक ऐसे व्यक्ति , जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है), को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पहले प्रत्यक्ष रूप से या आयक्ता द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 के भाग क में अपना स्थायी खाता संख्या, मोबाइल नम्बर, ई–मेल पता, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र घोषित करना होगा :

परंतु किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई इकाई या इकाइयां रखने वाले व्यक्ति या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता होने वाले व्यक्ति का विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित अपनी अन्य इकाइयों से भिन्न् किसी कारबार शीर्षका के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करना होगा :

परंतु यह और कि इनपुट सेवा वितरक होने के कारण ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को , ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करना होगा ।

(2) (क) स्था्यी लेखा संख्या को केंद्रीय प्रत्येक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस से सामान्य पोर्टल द्वारा आनलाइन विधिमान्य बनाया जाएगा ।

(ख) उपनियम (1) के अधीन घोषित मोबाइल नम्बर को उक्त मोबाइल नम्बर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ; और

(ग) उपनियम (1) के अधीन घोषित ई–मेल पते को उक्त ई–मेल पते पर भेजे गए एक पृथक् वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ।

(3) स्थायी लेखा संख्या्, मोबाइल नम्बर और ई–मेल पता के सफल सत्यापन पर एक अस्थायी निर्देश संख्यांक सृजित किया जाएगा और उसे आवेदक को उक्त मोबाइल नम्बर और ई–मेल पता पर संसूचित किया जाएगा ।

(4) आवेदक, उपनियम (3) के अधीन सृजित निर्देश संख्या का उपयोग करके इलैक्ट्रानिक रूप से, प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 के भाग ख में, सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन, उक्त प्रारूप में विनिर्दिष्ट् दस्तोवेजों के साथ, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा ।

(5) उपनियम (4) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी–02 में, इलैक्ट्रानिक रूप से, अभिस्वीरकृति जारी की जाएगी

(6) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीजकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्यत पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्या प्रदान किया जाएगा और केवल उक्त जमा के पश्चात् ही उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति इलैक्ट्रानिक रूप से जारी की जाएगी ।

9. आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन–(1) आवेदन उचित अधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा, जो आवेदन और संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और यदि वे ठीक क्रम में पाए जाते हैं तो आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्यदिवस की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया जाएगा।

(2) जहां नियम 8 के अधीन प्रस्तुत किया गया आवेदन उक्त नियम के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना या किसी दस्तावेज के निबंधन में त्रुटिपूर्ण पाया जाता है या जहां उचित अधिकारी आवेदन या उसके साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में उपलब्ध करायी गयी किसी सूचना के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है, वहां वह आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी–03 में, इलेक्ट्रानिक रूप से नोटिस जारी कर सकेगा और आवेदक को ऐसी नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी–04 में, इलेक्ट्रानिक रूप से, ऐसा स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण– इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए पद ''स्पष्टीकरण'' के अन्तर्गत प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 के भाग क में घोषित स्थायी लेखा संख्या, राज्य, मोबाइल नम्बर और ई–मेल पता से भिन्न रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में घोषित विशिष्टियों में उपांतरण या सुधार सम्मिलित है।

(3) जहां उचित अधिकारी का, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से समाधान हो जाये, वहां वह ऐसे स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर सकेगा।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में आवेदक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है या जहां उचित अधिकारी का उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से समाधान नहीं होता है वहां उसे अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसे आवेदन को नामंजूर करना होगा और आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी–05 में इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करना होगा।

(5) यदि उचित अधिकारी,––

(क) आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर या (ख) उपनियम (2) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर,

कोई कार्रवाई करने में विफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित किया गया समझा जाएगा।

10. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का जारी किया जाना— (1) धारा 25 की उपधारा (12) के उपबधों के अध्यधीन, जहां रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए आवेदन का, नियम 9 के अधीन अनुमोदन कर दिया गया हो, वहां आवेदक को कारबार के मुख्य स्थान और कारबार का (के) अतिरिक्त स्थान या स्थानों को दर्शित करते हुए प्ररूप जीएसटी आरईजी–06 में सामान्य पोर्टल पर एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा माल और सेवा कर पहचान संख्या निम्नलिखित वर्णों के अध्यधीन समनुदेशित की जायेगी, अर्थातः—

(क) राज्य कोड के लिए दो वर्ण ;

(ख) स्थायी खाता संख्या या कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या के लिए दस वर्ण ;

(ग) अस्तित्व कोड के लिए दो वर्ण ; और

(घ) एक चैकसम वर्ण।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, ऐसी तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया हो, वहां रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस तारीख को व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया हो।

(3) जहां आवेदक द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन, रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किया गया हो, वहां रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभावी तारीख, नियम 9 के उप नियम (1) या उपनियम (3) या उपनियम (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख होगी।

(4) अधिनियम के अधीन प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, उचित अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा।

(5) जहां रजिस्ट्रीकरण नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन प्रदान किया गया हो, वहां आवेदक को, रजिस्ट्रीकरण संख्या संसूचित किया जाएगा और उपनियम (1) कि अधीन इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, उसे नियम 9 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन दिन की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

11. किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर बहुल कारबार शीर्षकाओं के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण–

(1) किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर बहुल कारबार शीर्षका वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन उसके कारबार शीर्षकाओं में से किसी कारबार शीर्षका के लिए एक पृथक् रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा हो, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, प्रत्येक शीर्षका के संबंध में पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) ऐसे व्यक्ति के पास धारा 2 के खंड में यथा परिभाषित एक से अधिक कारबार शीर्षकाएं हों ;

(ख) किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार शीर्षका को धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए रजिस्ट्रीकरण नहीं प्रदान किया जाएगा, यदि उसी व्यक्ति के अन्य कारबार शीर्षकाओं में कोई एक शीर्षका धारा 9 के अधीन कर का संदाय कर रहा हो।

(ग) ऐसे व्यक्ति के समस्त पृथक् रजिस्ट्रीकृत कारबार शीर्षकाओं को ऐसे व्यक्ति के अन्य रजिस्ट्रीकृत कारबार शीर्षका को की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अधिनियम के अधीन कर संदाय करना होगा और ऐसी पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करना होगा।

स्पष्टीकरण– खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कोई कारबार शीर्षका, जिसे पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया हो, धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए अपात्र हो जाये, वहां उक्त व्यक्ति के समस्त अन्य कारबार शीर्षकाएं उक्त धारा के अधीन कर संदाय करने के लिए अपात्र हो जाएंगे।

(2) कारबार शीर्षकाओं के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए पात्र कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्रत्येक शीर्षका के सम्बन्ध में प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 में पृथक् आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध, इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए किसी आवेदन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित होंगे।

12. स्त्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्त्रोत पर कर संग्रहीत करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना–

(1) धारा 51 के उपबंधों के अनुसार कर कटौती करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति को या धारा 52 के उपबंधों के अनुसार स्त्रोत पर कर संग्रहीत करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति

को प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रानिक तरीके से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्ररूप जीएसटी आरईजी–07 में प्रस्तुत करना होगा।

(2) उचित अधिकारी सम्यक् सत्यापन के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा और आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी –06 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा।

(3) जहां जांच किए जाने पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के अनुसरण में उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति, जिसे प्ररूप जीएसटी आरईजी–06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो, धारा 51 के अधीन स्त्रोत पर कर कटौती करने के लिए या धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर संग्रहीत करने के लिए आगे दायी न रह गया हो वहां उक्त अधिकारी उपनियम (2) के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा और ऐसे रद्दकरण के सम्बन्ध में उक्त व्यक्ति को इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरईजी–08 में संसूचित किया जाएगा।

परन्तु उचित अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए नियम 22 में यथा उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।

13. <u>अनिवासी कराधेय व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाना––</u>

(1) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति को अपने विधिमान्य पासपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरईजी–09 में कारबार प्रारंभ होने से कम से कम पांच दिन पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

परन्तु भारत से बाहर निगमित या स्थापित किसी कारबार इकाई के मामले में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन, उसकी कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर उक्त इकाई की उस देश की सरकार द्वारा पहचान की जाती है या उसके स्थायी खाता संख्या यदि उपलब्ध हो, सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्य पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्या प्रदान किया जाएगा और नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति, उसके केवल इलेक्ट्रानिक नकद बही में जमा करने के पश्चात ही इलेक्ट्रानिक रूप से जारी की जाएगी।

(3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और उसकी स्वीकृति से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(4) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा किया गया रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन, उसके ऐसे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा, जो विधिमान्य स्थायी खाता संख्या रखने वाला कोई निवासी भारतीय होगा।

14. भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाना–

(1) भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी–10 में प्रस्तुत करना होगा।

(2)उपनियम (1)में निर्दिष्ट आवेदक को रजिस्ट्रीकरण, ऐसी शर्तों ओर निर्बधनों के अध्यधीन और ऐसे अधिकारी द्वारा, जैसाकि परिषद् की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, प्ररूप जीएसटी आरईजी–06 में प्रदान किया जाएगा।

15. आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रचालन की अवधि का विस्तारः–

(1) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति अपने रजिस्ट्रीकरण आवेदन में उपदर्शित रजिस्ट्रीकरण अवधि में विस्तार चाहता हो वहॉं जीएसटी–11 प्ररूप में एक आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति द्वारा उसे प्रदान किये गये रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन, धारा 27 की उपधा (2) में विनिर्दिष्ट धनराशि का संदाय करने पर ही अभिस्वीकृत किया जाएगा।

16.स्वप्रेरणा से रजिस्ट्रीकरणः–

(1) जहां, किसी सर्वेक्षण, जांच, निरीक्षण, तलाशी या उक्त अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के अनुसरण में, उचित अधिकारी यह पाता है कि अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में विफल हो गया

है वहां ऐसा अधिकारी, उक्त व्यक्ति को अस्थाीय आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और जीएसटी आरईजी–12 में एक आदेश जारी कर सकेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले ऐसे आदेश की तारीख से प्रभावी होगा।

(3) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उप–नियम (1) के अधीन अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया हो को ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रदान किये जाने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, नियम 8 या नियम 12 में उपबंधित प्ररूप में और रीति से रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

परन्तु जहां उक्त व्यक्ति अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के विरूद्ध अपील दाखिल किया हो ऐसे मामले में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन, अपील प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के दायित्व को मान्य ठहराने वाले आदेश जारी किये जाने की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(4)सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी किये जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध, उप–नियम (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(5) उप–नियम (4) के अधीन सत्यापन के अनुसरण में समनुदेशित माल और सेवा कर पहचान संख्या, उप–नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किये जाने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगी।

17. <u>कतिपय विशिष्ट इकाइयों को विशिष्ट पहचान संख्या का समनुदेशनः–</u>

(1) धारा 25 की उप धारा 9 के उपबंधों के अनुसार विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किये जाने हेतु अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति जीएसटी आरईजी–13 प्ररूप में सामान्य पोर्टल पर, सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, नियम 8 विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित इलेक्ट्रानिक रूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) उचित अधिकारी, जीएसटी आरईजी–13 प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर या उक्त प्ररूप भरे जाने के पश्चात् उक्त व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित कर सकेगा और आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवसों की अवधि के भीतर जीएसटी आरईजी–06 में प्रमाण पत्र जारी करेगा।

18. <u>नाम पट्टिका पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और माल तथा सेवा कर पहचान संख्या को प्रदर्शित करनाः–</u>

(1)प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, अपने कारबार के मुख्य स्थान पर और प्रत्येक अतिरिक्त कारबार के स्थान या स्थानों पर स्थित प्रमुख अवस्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

(2)प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अपने कारबार के मुख्य स्थान और प्रत्येक अतिरिक्त कारबार स्थान या स्थानों पर स्थित प्रवेश स्थल पर प्रदर्शित नाम पट्टिका पर माल ओर सेवा कर पहचान संख्या प्रदर्शित करना होगा।

19. रजिस्ट्रीकरण में संशोधनः–

(1) जहां रजिस्ट्रीकरण हेतु प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 या प्ररूप जीएसटी आरईजी–07 या प्ररूप जीएसटी आरईजी–09 या प्ररूप जीएसटी आरईजी 10 में किये गये आवेदन में उपलब्ध कराये गये किसी विवरण या प्ररूप जीएसटी आरईजी 13 में विद्यमान विशिष्ट पहचान संख्या में रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करते समय या समय–समय पर यथा संशोधित रूप में कोई परिवर्तन होता है वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे परिवर्तन से पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी–14 में, ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित, आवेदन सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में करना होगा।

परन्तु (क) जहां परिवर्तन निम्न से संबंधित हो,

(एक) कारबार का विधिक नाम ;

(दो) कारबार के मुख्य स्थान या किसी अतिरिक्त कारबार का (के) स्थान (स्थानों) का पता ; या

(तीन) कारबार के दिन–प्रतिदिन के मामलों के लिए उत्तरदायी भागीदारी या निदेशकों, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यास बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष को जोड़ा जाना, हटाया जाना था उनका सेवानिवृत्त होना ;

जो धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रेशन के रद्दकरण का प्रमाण नहीं है, उचित अधिकारी को सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्ररूप जीएसटी आरईजी–14 में आवेदन प्राप्त किये जाने की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर संशोधन को अनुमोदित करना होगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी–15 में इलेक्ट्रानिक रूप में एक आदेश जारी करना होगा और ऐसे संशोधन को प्रमाणित करने वाली घटना के घटित होने के दिनांक से ऐसा संशोधन प्रभावी होगा।

(ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में खंड (क) के उप खण्ड (एक) ओर उप खण्ड (दो) से संबंधित परिवर्तन, समान स्थायी खाता संख्या के आधार पर इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्राप्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के समस्त रजिस्ट्रीकरणों पर लागू होगा।

(ग) जहां खंड (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों से भिन्न कोई विशिष्टियॉ परिवर्तन से सम्बंधित होती है वहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, सामान्य पोर्टल पर प्रारूप जीएसटी आरईजी–14 में आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर संशोधित हुआ समझा जायेगा।

(घ) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्थायी खाता संख्या में परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी कारबार के सृजन में कोई परिवर्तन होता है वहां पर व्यक्ति को नये रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 में आवेदन करना होगा।

परन्तु यह ओर कि समय–समय पर यथासंशोधित इस नियम के अधीन प्रस्तुत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मोबाइल संख्या या ई–मेल के पता में कोई परिवर्तन, उक्त नियम के अधीन उपबंधित रीति से सामान्य पोर्टल के माध्यम से आनलाइन सत्यापन के पश्चात् ही किया जाएगा।

(2) जहां उचित अधिकारी की यह राय हो कि उप–नियम (1)में अपेक्षित संशोधन या तो प्रमाणित नहीं है या उसके साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेज अपूर्ण या अशुद्व है, वहां वह प्ररूप जीएसटी आरईजी–14 में आवेदन प्राप्त किये जाने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, उक्त नोटिस को तामील किये जाने के सात कार्य दिवसों की अवधि भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करते हुए, कि क्यों न उप–नियम(1) में प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाए, प्ररूप जीएसटी आरईजी 03 में नोटिस तामील करेगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप–नियम (2) के अधीन जारी कारण बताओं नोटिस का प्रत्युतर, उक्त नोटिस की तामील किये जाने की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी–04 में प्रस्तुत करना होगा।

(4) जहां उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युतर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है या जहां उप–नियम (2) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युतर में, उप–नियम (3) विहित अवधि के भीतर कोई प्रत्युतर नहीं दिया जाता है वहां उचित अधिकारी को उप–नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत करना होगा ओर प्ररूप जीएसटी आईजी–05 में आदेश पारित करना होगा।

(5) यदि उचित अधिकारी (क) आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर या (ख) उप–नियम (3) के अधीन कारण बताओं नोटिस का प्रत्युतर प्राप्त किये जाने की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कोई कार्यवाही करने में विफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, आवेदित किये जाने की सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और संशोधित प्रमाणपत्र, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

20. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदनः–

किसी व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे नियम 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया हो या धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण को रद्द किये जाने की अपेक्षा करने वाले ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे नियम 17 के विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गयी हो, प्ररूप जीएसटी आरईजी 16 में इलेक्ट्रानिक रूप से आवेदन करना होगा, जिसमें रजिस्ट्रीकरण रद्द किये जाने के लिए अपेक्षित तारीख को स्टॉक में धारित इनपुट या स्टाक में धारित अर्द्ध तैयार या तैयार माल में अन्तर्विष्ट इनपुट सम्बंधी विवरण और स्टॉक में धारित पूंजी माल, तथा उस पर देनदारी और ऐसी देनदारी के सापेक्ष किऐ गए संदाय, यदि कोई हो से सम्बंधित विवरण सम्मिलित होंगे और वे रद्दकरण को प्रमाणित करने वाली घटना घटित होने के तीस दिवसों की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर संबंधित सुसंगत दस्तावेजों के साथ आवेदन सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु रजिस्ट्रीकरण को रद्द किये जाने हेतु किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जो रजिस्ट्रीकरण प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पूर्व स्वेच्छा से रजिस्ट्रीकरण करा लिया हो।

21. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना–

किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने योग्य हो, यदि उक्त व्यक्ति (क) घोषित कारबार के स्थान से किसी कारबार का संचालन नहीं करता है या (ख) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के उल्लंघन में माल या सेवाओं की पूर्ति के बिना बीजक या देयक जारी करता है।

22.रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जानाः–

(1) जहां उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण धारा 29 के अधीन रद्द किए जाने योग्य है वहां उसे ऐसे व्यक्ति के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी–17 में सूचना तामील किये जाने की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाय, नोटिस जारी करना होगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं नोटिस का प्रत्युतर उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी–18 में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण के रददकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हो, आगे रजिस्ट्रीकृत किये जाने योग्य न रह गया हो या रजिस्ट्रीकरण रदद किये जाने योग्य हो, वहां उचित अधिकारी को यथा स्थिति नियम 20 के अधीन प्रस्तुत आवेदन की तारीख या उपनियम (1) के अधीन जारी कारण बताओ के प्रत्युत्तर की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी–19 में आदे ा करना होगा, अपने द्वारा अवधारित की जाने वाली तारीख से रजिस्ट्रीकरण रदद करना होगा और कराधेय व्यक्ति को यह निदे ा देते हुए

अधिसूचित करना होगा कि वह धारा 29 की उपधारा 5 के अधीन संदाय किये जाने योग्य धनराि ा सहित किसी कर, ब्याज या भाास्ति के बकाये का भुगतान करे।

(4) जहां उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युउत्त्र संतोशप्रद पाया जाय वहां उचित अधिकारी को कार्यवाहियां समाप्त करनी होगी और प्ररूप जीएसटी आरईजी–20 में एक आदे ा पारित करना होगा।

(5) उपनियम (3) के उपबन्ध मृत स्वत्वधारी के विधिमान्य उत्तराधिकारियों के लिए यथा आव यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, मानो आवेदन स्वयं स्वत्वधारी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।

23. रजिस्ट्रीकरण के रददकरण का प्रतिसंहरण–

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से रदद कर दिया जाय, प्ररूप जीएसटी आरईजी–21 में रजिस्ट्रीकरण रदद किये जाने के प्रतिसंहरण हेतु आवेदन, ऐसे उचित अधिकारी को, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण को रदद किये जाने के आदे ा को तामील किये जाने की तारीख से 30 दिवस की अवधि के भीतर सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा।

परन्तु प्रतिसंहरण के लिए तब तक कोई आवेदन दाखिल नही किया जायेगा यदि रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के कारण रदद किया गया हो, जब तक कि ऐसी विवरणियां प्रस्तुत नही की जाती हैं और ऐसी विवरणी की निबन्धनों में कर के रूप में देय किसी धनराि ा का भुगतान उक्त विवरणी के सम्बंध में ब्याज, भाास्ति और विलम्ब फीस के लिए संदेय धनराि ा के साथ नही किया जाता है।

(2)(क) जहां उचित अधिकारी का लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से समाधान हो जाय कि रजिस्ट्रीकरण के रदद किये जाने के प्रतिसंहरण के लिए पर्याप्त आधार हो, वहां उसे आवेदन के प्राप्त किये जाने की तारीख से 30 दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी–22 में किसी आदे ा द्वारा रजिस्ट्रीकरण को रदद किये जाने को प्रतिसंहरित करना होगा।

(ख) उचित अधिकारी लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से खण्ड (क) में विनिर्दिश्ट परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में प्ररूप जीएसटी आरईजी–5 में आदे ा द्वारा रजिस्ट्रीकरण को रदद किये जाने के प्रतिसंहरण हेतु आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है और उसकी संसूचना आवेदक को देगा।

(3) उचित अधिकारी को उपनियम (2) के खण्ड (ख) में निर्दिश्ट आदे ा पारित करने से पूर्व आवेदक से कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उपनियम (1) के अधीन प्रतिसंहरण

के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए, प्ररूप जीएसटी आरईजी–23 में सूचना जारी करना होगा और आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी–24 में सूचना तामील किये जाने की तारीख से 7 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना होगा।

(4) प्ररूप जीएसटी आरईजी–24 में सूचना या स्पश्टीकरण की प्राप्ति पर उचित अधिकारी को आवेदक से ऐसी सूचना या स्पश्टीकरण प्राप्त किये जाने की तारीख से 30 दिवस की अवधि के भीतर उपनियम (2) में विनिर्दिश्ट रीति से आवेदन के निस्तारण के लिए कार्यवाही करनी होगी।

24. विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रव्रजन–

(1)(क) स्रोत पर कर कटौती करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति या विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) के उपबन्धों के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखने वाले इनपुट सेवा वितरक को अपने ई–मेल पते और मोबाइल संख्या को विधिमान्यकृत करते हुए सामान्य पोर्टल पर सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से नामांकित करना होंगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन नामांकित किये जाने पर, उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी–25 में माल और सेवाकर पहचान संख्या को सम्मिलित करते हुए अनन्तिम आधार पर और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर प्रदान किया जायेगा।

परन्तु किसी कराधेय व्यक्ति, जिसे एकल स्थायी खाता संख्या के आधार पर विद्यमान विधि के अधीन बहुल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया हो, को उक्त अधिनियम के अधीन केवल एक अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जायेगा।

(2)(क) प्रत्येक व्यक्ति को जिसे उपनियम (1) के अधीन अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया हो, इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरईजी–26 में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित आवेदन विनिर्दिश्ट सूचना और दस्तावेजों के साथ सामान्य पोर्टल पर सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(ख) खण्ड (क) में मांगी गयी सूचना तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी अग्रतर अवधि जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा बढ़ायी गयी हो, के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) यदि आवेदन में प्रस्तुत सूचना और वि ाश्टियां, उचित अधिकारी द्वारा सही और पूर्ण पायी जाती है तो प्ररूप जीएसटी आरईजी–6 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) जहां उपनियम (2) में विनिर्दिश्ट वि ाश्टियां या सूचनाएं प्रस्तुत न की गयी हो या सही अथवा पूर्ण न पायी गयी हों तो उचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी आरईजी–27 में कारण बताओ नोटिस तामील करने के प चात् और सम्बंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के प चात्, उपनियम (1) के अधीन प्रदत्त अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण को रदद करना होगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी–28 में एक आदे ा जारी करना होगा।

परन्तु प्ररूप जीएसटी आरईजी–27 में जारी कारण बताओ नोटिस को प्ररूप जीएसटी आरईजी–20 में आदे ा जारी करके वापस लिया जा सकता है यदि व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये जाने के प चात् यह पाया जाता है कि ऐसा कोई कारण विद्यमान नही है जिसके लिए नोटिस जारी की गयी थी।

(4) किन्हीं विद्यमान विधियों में से किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए दायी नही है, नियत दिनांक से 30 दिवस की अवधि के भीतर, अपने विकल्प पर स्वयं को प्रदान किये गये रजिस्ट्रीकरण के रददकरण ्के लिए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी–29 में इलेक्ट्रानिक रूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और उचित अधिकारी को ऐसी जांच संचालित करने के प चात् जैसा कि वह उचित समझे, उक्त रजिस्ट्रीकरण को रदद करना होगा।

25. कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन–

जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान किये जाने के प चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है वहां वह ऐसा सत्यापन करा सकेगा और सत्यापन रिपोर्ट को अन्य दस्तावेजों, जिसके अन्तर्गत फोटो भी है, के साथ प्ररूप जीएसटी आरईजी–30 में सामान्य पोर्टल पर ऐसे सत्यापन की तारीख से अनुवर्ती 15 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर अपलोड किया जायेगा।

26. अधिप्रमाणन की रीति–

(1) नोटिसों का प्रतिउत्तर, यदि कोई हो, सहित समस्त आवेदन, जावक एवं आवक पूर्तियों के ब्योरे सहित विवरणी या इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000(अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) के उपबन्धों के अधीन यथा विनिर्दिश्ट या इस निमित्त कमि नर द्वारा यथा अधिसूचित हस्ताक्षर या सत्यापन की किसी अन्य रीति द्वारा सत्यापित डिजीटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाणपत्र के साथ या ई–हस्ताक्षर के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत किये जायेगे।

परन्तु यह और कि कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से सत्यापित दस्तावेज या आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) आनलाईन प्रस्तुत की गयी विवरणी सहित प्रत्येक दस्तावेज, इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से हस्ताक्षरित या सत्यापित होगा–

(क) किसी व्यक्ति के मामले में व्यक्ति द्वारा स्वयं या जहां वह भारत से अनुपस्थित हो उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, और जहां व्यक्ति अपने कार्यों को करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम हो, उसके संरक्षक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा';

(ख) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के मामले में किसी कर्ता द्वारा और जहां कर्ता भारत से अनुपस्थित हो या अपना कार्य करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम हो, ऐसे कुटुम्ब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा या ऐसे कर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(ग) कम्पनी के मामले में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(घ) सरकार या किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण के मामले में इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा;

(ड़) किसी फर्म के मामले में, उसके किसी भागीदारी द्वारा जो अवयस्क न हो या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(च) किसी अन्य संगम के माामले में, संगम के किसी सदस्य द्वारा या व्यक्तियों या उनके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(छ) किसी न्यास के मामले में, न्यासी द्वारा या किसी न्यासी या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा या;

(ज) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति द्वारा या धारा 48 के उपबन्धों के अनुसरण में किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा।

(3) इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन विनिर्दिश्ट समस्त सूचनाएं, प्रमाणपत्र और आदे ा, समुचित अधिकारी द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) के उपबन्धों के अधीन विनिर्दिश्ट डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से ऐसी सूचनाएं या प्रमाणपत्र या आदे ाों को जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से जारी किया जायेगा।

[illegible] -01

[[illegible] 3(1) [illegible]]

[illegible] **10** [illegible] ([illegible])

([illegible])

1. जीएसटीआईएन/अंनितम पहचान		
2. विधिक नाम		
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो		
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता		
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग <निम्नलिखित में से चयन करें>		
(i) सरकार द्वारा यथाअधिसूचित ऐसे माल के विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता		☐
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने वाले पूर्तिकर्ता		☐
(iii) प्रशमन उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकर्ता		☐
6. वित्तीय वर्ष जिससे प्रशमन स्कीम का विकल्प लिया गया है		2017-18
7. अधिकारिता	केन्द्र	राज्य
8. घोषणा – मैं घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का पालन किया गया है ।		
9. सत्यापन मैं ____________________ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है । प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर नाम स्थान		

तारीख	पदनाम/प्रास्थिति

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ -02

[□□□□ 3(□) □□□□□]

□□□□ **10** □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ (□□□□□□ □□□□□□□□)

(□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□)

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता	
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < निम्नलिखित में से चयन करें>	
(i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	☐
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने वाले पूर्तिकर्ता	☐
(iii) प्रशमन उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकर्ता	☐

6. वित्तीय वर्ष जिससे प्रशमन स्कीम का विकल्प लिया गया है		
7. अधिकारिता	केन्द्र	राज्य

8. घोषणा –

मैं घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का पालन किया गया है ।

9. सत्यापन

मैं ____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

नाम

स्थान

तारीख	पदनाम/प्रास्थिति

[illegible] **-03**

[[illegible] 3(4) [illegible]*]*

[illegible]

([illegible])

1. जीएसटीआईएन		
2. विधिक नाम		
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो		
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता		
5. धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए फाइल किए गए आवेदन के ब्यौरे	(i) आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)	
	(ii) फाइल करने की तारीख	
6. अधिकारिता	केन्द्र	राज्य

7. विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से किए गए क्रय का स्टॉक

क्रम सं0	जीएसटीआईएन/टीआईएन	पूर्तिकर्ता का नाम	बिल/बीजक सं0	तारीख	स्टॉक का मूल्य	मूल्य संवर्धित कर (वैट)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	सेवा-कर (यदि लागू हो)	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
कुल योग									

8. विद्यमान विधि के अधीन अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से किए गए क्रय का स्टॉक

क्रम सं0	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम	पता	बिल/बीजक सं0	तारीख	स्टॉक का मूल्य	मूल्य वर्धित कर (वैट)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	सेवा-कर (यदि लागू हो)	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1									
2									
कुल योग									

9. संदत्त कर के ब्यौर	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर
	रकम		
	नामें प्रविष्टि सं0		

10. सत्यापन

मैं ____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

नाम

स्थान

तारीख

पदनाम/प्रास्थिति

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ -04

[□□□□ 6(2) □□□□□]

□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□/□□□□□

<table>
<tr><td colspan="3">1. जीएसटीआईएन</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2. विधिक नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">क. ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता</td><td colspan="3">☐</td></tr>
<tr><td colspan="3">ख. अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने वाले पूर्तिकर्ता</td><td colspan="3">☐</td></tr>
<tr><td colspan="3">ग. संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकर्ता</td><td colspan="3">☐</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. कारबार की प्रकृति</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">7. तारीख जिससे संविरचना स्कीम से प्रत्याहरण की ईप्सा की गई है</td><td>दिन</td><td>मास</td><td>वर्ष</td></tr>
<tr><td>8. अधिकारिता</td><td colspan="2">केन्द्र</td><td colspan="3">राज्य</td></tr>
<tr><td colspan="3">9. संविरचना स्कीम से प्रत्याहरण के कारण</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">10. सत्यापन

मैं ____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम
स्थान
तारीख
पदनाम/प्रास्थिति</td></tr>
</table>

टिप्पणी: उस तारीख से, जिससे प्रशमन विकल्प का प्रत्याहरण किया गया है, पूर्ववर्ती तारीख को उपलब्ध स्टॉक पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पृथक रूप से स्टॉक विवरण **प्ररूप जीएसटी आइटीसी-01** में दिया जा सकेगा ।

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -05

[□□□□ 6(4) □□□□□□)]

□□□□□□□ □□0 << … >>   << □□□□□□ >>

□□□□ □□□

□□□□□□□□□□□
□□□
□□□

□□□□ 10 □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□

मेरी जानकारी में आई ऐसी सूचना के आधार पर यह प्रतीत होता है कि आप ने धारा 10 के अधीन संरचना स्कीम के उपभोग के लिए आवश्यक शर्तों और निर्बधंनों का उल्लघंन किया है । अत: मैं आपको निम्नलिखित कारणों से उक्त धारा के अधीन संदाय के विकल्प प्रत्याख्यान करता हूं । : -

1
2
3
….

- आपको इस सूचना की तामील की तारीख से पंद्रह कार्यदिवसों के भीतर इस सूचना का उत्तर देने का निदेश दिया जाता है ।

- आपको दिन/मास/वर्ष को ......बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष हाजिर होने का निदेश दिया जाता है ।

यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए हाजिर होने में असफल रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेख और गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा ।

□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□

□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□
□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ -06

[□□□□ 6(5 □□□□□□)]

कारण बताओं नोटिस का उत्तर

1.	जीएसटीआईएन	
2.	कारण बताओं सूचना के ब्यौरे	संदर्भ सं0

		तारीख
3.	विधिक नाम	
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
5.	कारबार के प्रमुख स्थान का पता	
6.	सूचना का उत्तर	
7.	अपलोड किए गए दस्तावेजो की सूची	
8.	सत्यापन तारीख स्थान	मैं ______________________________ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है । प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

टिप्पणी –

1. उत्तर 500 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए यदि वह 500 शब्दों से अधिक है तो उसे पृथक रूप से अपलोड किया जाए ।

2. सहायक दस्तावेजों, यदि कोई हों, को पीडीएफ फार्मेट में अपलोड किया जाए ।

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ **-07**
[□□□□□ 6(6) □□□□□□)]

□□□□□□□ □□0 << … >> << □□□□□□ >>

□□□□ □□□

□□□□□□□□□□□
□□□
□□□

[illegible] 0 ([illegible]) [illegible] –

[illegible]/[illegible]

[illegible] ……………[illegible]……………… [illegible] ……………… [illegible] :, [illegible]

[illegible]

[illegible] ……………[illegible]……………… [illegible] ……………… [illegible] :, [illegible] <<[illegible]>> [illegible]

<< [illegible] >>

[illegible]

- [ ] [illegible]; [illegible]
- [ ] [illegible]

[illegible]: [illegible] << [illegible] >> [illegible]:

<< [illegible] >>

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ -01

[□□□□ 8(1) □□□□□)]

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या विपर्यन सेवाओं का पूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति)

भाग – क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ▽ **जिला** - ▽

(i)	कारबार का विधिक नाम: (यथाउल्लिखित स्थायी खाता संख्या)	
(ii)	स्थायी खाता संख्या : (कारबार का स्थायी खाता संख्या; स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या प्रविष्ट करें)	
(iii)	ई-मेल पता :	
(iv)	मोबाइल संख्या :	

टिप्पण – भाग-ख को भरने हेतु कार्रवाई से पूर्व ऊपर दी गई सूचना ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन होगी ।

आवेदन फाइल करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अपना मोबाइल सं0 और ई-मेल पता देना होगा ।

भाग-ख

1.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
2.	कारबार का गठन (उचित का चयन करें)	

(i) स्वत्वधारिता	?	(ii) भागीदारी	?
(iii) हिंदु अविभक्त कुटुम्ब	?	(iv) प्राईवेट लिमिटेड कंपनी	?
(v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी	?	(vi) सोसायटी/क्लब/न्यास/व्यक्ति संगम	?
(vii) सरकारी विभाग	?	(viii) पब्लिक सैक्टर उपक्रम	?
(ix) असमिति कंपनी	?	(x) सीमित दायित्व भागीदारी	?
(xi) स्थानीय प्राधिकारी	?	(xii) कानूनी निकाय	?
(xiii) विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	?	(xiv) रजिस्ट्रिकृत विदेशी कंपनी (भारत में)	?

(xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	?		?

3.	राज्य का नाम	⏏	जिला	⏏

4.	अधिकारिता	राज्य	केन्द्र
		सेक्टर, सर्कल, वार्ड, युनिट आदि अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	

5.	प्रशमन के लिए विकल्प	हां ? नहीं ?

6. प्रशमन की घोषणा

☐ मैं यह घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का या संविरचना स्कीम के अधीन कर संदाय के विकल्प के लिए नियमों का पालन किया गया है ।

6.1 रजिसट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग <चैकबॉक्स में चिन्हित करें>

(i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, जिसके लिए विकल्प उपलब्ध नहीं हैं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने वाले पूर्तिकर्ता	
(iii) प्रशमन उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकर्ता ।	

7.	कारबार के प्रारंभ की तारीख	दिन/मास/वर्ष	
8.	तारीख जिसको रजिस्टर किए जाने का दायित्व उद्भूत हुआ है	दिन/मास/वर्ष	
9.	क्या आपने आकस्मिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है	हां ☐	नहीं ☐
10.	यदि क्रम सं0 9 में 'हां' का चयन किया गया है तो वह अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है	से दिन/मास/वर्ष	तक दिन/मास/वर्ष
11.	यदि क्रम सं0 9 में 'हां' का चयन किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान प्राक्कलित पूर्तियों और प्राक्कलित शुद्ध कर दायित्व ।		

क्रम सं0	कर का प्रकार	आवर्त (रुपए में)	शुद्ध कर दायित्व (रुपए में)
(i)	एकीकृत कर		
(ii)	केन्द्रीय कर		
(iii)	राज्य कर		

(iv)	संघ राज्यक्षेत्र कर					
(v)	उपकर					
	कुल योग					
	पूर्ति के ब्यौरे					
	चालान पहचान संख्या		तारीख		रकम	
12.	क्या आपने विशेष आर्थिक जोन इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ?			हां ☐	नहीं ☐	
	(i) विशेष आर्थिक जोन के नाम का चयन करें				▽	
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्या और आदेश की तारीख					
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम					
13.	क्या आपने विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ?			हां ☐	नहीं ☐	
	(i) विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के नाम का चयन करें				▽	
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्या और आदेश की तारीख					
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम					

14.	रजिस्ट्रिकरण प्राप्त करने का कारण:	
	(i) सीमारेखा	(viii) दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का विलयन /समामेलन
	(ii) अंतरराज्यिक पूर्ति	(ix) इनपुट सेवा वितरक
	(iii) धारा 9(3) या 9(4) के अधीन माल या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में कर संदाय का दायित्व ।	(x) धारा 9(5) के अधीन कर संदाय के लिए दायी व्यक्ति
	(iv) ऐसे कारबार का अंतरण जिसमें कारबार के स्वामित्व का परिवर्तन हो (यदि अंतरिति रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व नहीं है)	(xi) ई-कार्मस पोर्टल के माध्यम से पूर्ति करने वाला कराधेय व्यक्ति
	(v) स्वत्वधारी की मृत्यु (यदि उत्तरवर्ती रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व नहीं है)	(xii) स्वैच्छिक आधार पर
	(vi) निर्विलयन	(xiii) अन्य कराधेय व्यक्ति (व्यक्तियों) की ओर से माल और/या सेवाएं पूर्ति करने वाले व्यक्ति
	(vii) कारबार के गठन में परिवर्तन	(xiv) अन्य (जो ऊपर नहीं आते हैं) – विनिर्दिष्ट करें

15.	विद्यमान रजिस्ट्रीकरण उपदर्शित करें जहां कहीं लागू हों ।

मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या	
केन्द्रीय विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्या	
प्रवेश कर रजिस्ट्रीकरण संख्या	
मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण संख्या	
होटल और विलासिता रजिस्ट्रीकरण संख्या	
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या	
सेवा-कर रजिस्ट्रीकरण संख्या	
कारपोरेट पहचान संख्या/विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या	
सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या	
आयातकर्ता/निर्यातकर्ता कोड संख्या	
चिकित्सीय और प्रसाधन निर्मिति (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या	
दुकानों और संस्थापन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या	
अस्थायी पहचान, यदि कोई हो	
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

16.	(क) कारबार के मुख्य स्थान का पता

भवन सं0/फ्लैट सं0	तल सं0
परिसर/भवन का नाम	सड़क/गली
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव	जिला
तालुक/ब्लॉक	
राज्य	पिन कोड
अक्षांतर	देशांतर
(ख) संपर्क सूचना	

कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष संख्या	एसटीडी	
मोबाईल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या	एसटीडी	

(ग) परिसर की प्रकृति

अर्जन	पट्टा	किराए पर	सहमति	हिस्सेदार	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(घ) ऊपर वर्णित परिसर पर किए जा रहे कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति (जो लागू हों कृपया उन्हें चिन्हित करें)

फैक्टरी/विनिर्माण	?	थोक कारबार	?	खुदरा कारबार	?
भांडागार/डिपो	?	बंधित भांडागार	?	सेवाओं के पूर्तिकर्ता	?
कार्यालय/विक्रय कार्यालय	?	पट्टा कारबार	?	माल या सेवाओं का प्राप्तिकर्ता	?
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	?	संकर्म संविदा	?	निर्यात	?
आयात	?	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	?		

17. बैंक खाता (खातों) का ब्यौरा

कारबार चलाने के लिए आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खातों की कुल संख्या (10 बैंक खातों तक की रिपोर्ट दी जाए)	

बैंक खाता 1 का ब्यौरा

खाता संख्या															
खाते का प्रकार						आईएफएससी									
बैंक का नाम															
शाखा का पता	ऑटो पोपुलेटड द्वारा किया जाए (संपादित विधि)														

टिप्पणी – और अधिक खातों को जोड़ें ------

18. कारबार द्वारा पूर्ति किये गए माल का ब्यौरा

कृपया ऊपर के 5 माल को विनिर्दिष्ट करें		
क्रम सं0	माल का विवरण	एचएसएन कोड (चार अंको में)

(i)		
(ii)		
…		
(v)		

19. कारबार द्वारा पूर्ति की गयी सेवाओं का ब्यौरा ।

कृपया ऊपर के 5 सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें		
क्रम सं0	सेवाओं का विवरण	एस ए सी कोड (चार अंको में)
(i)		
(ii)		
…		
(v)		

20. कारबार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का ब्यौरा

अतिरिक्त स्थानों की संख्या	

परिसर 1

(क) कारबार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा

भवन सं0/फ्लैट सं0		तल सं0					
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली					
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला					
तालुक/ब्लॉक							
राज्य		पिन कोड					
अक्षांष		देशांतर					

(ख) संपर्क सूचना				
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष संख्या	एसटीडी	
मोबाईल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या	एसटीडी	
(ग) परिसर की प्रकृति				

अर्जन	पट्टा	किराए पर	सहमति	हिस्सेदार	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(घ) ऊपर वर्णित परिसर पर किए जा रहे कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति (जो लागू हों कृपया उन्हें चिन्हित करें)					
फैक्टरी/विनिर्माण	?	थोक कारबार	?	खुदरा कारबार	?
भांडागार/डिपो	?	बंधित भांडागार	?	सेवाओं के पूर्तिकर्ता	?
कार्यालय/विक्रय कार्यालय	?	पट्टा कारबार	?	माल या सेवाओं का प्राप्तिकर्ता	?
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	?	संकर्म संविदा	?	निर्यात	?
आयात	?	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	?		

21. स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और न्यास के संगम/बोर्ड के प्रबंध समिति के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्यों का ब्यौरा ।

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	<**पुरुष,स्त्री,अन्य**>
मोबाईल संख्या		ई-मेल पता	
टेलीफोन सं0 एसटीडी सहित			
पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई है)	
स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/ नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशी नागरिक की दशा में)	
आवासीय पता			
भवन सं0/फ्लैट सं0		तल सं0	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	

शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला	
ब्लॉक/तालुक			
राज्य		पिन कोड	
देश (विदेशी नागरिक की दशा में)		ज़िप कोड	

22.

हस्ताक्षरकर्ता सं0 1 का ब्यौरा

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	<**पुरुष,स्त्री,अन्य**>
मोबाईल संख्या		ई-मेल पता	

टेलीफोन नंबर, एसटीडी के साथ			
पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी खाता संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं ?	हां/नही	पासपोर्ट नंबर (विदेशियों के मामलें में)	

भारत में आवासीय पता			
मकान नंबर/ फ्लैट नंबर		तल नंबर	
परिसर /मकान का नाम		सड़क/ गली	

ब्लाक /तालुका			
शहर/ नगर /मुहल्ला/ ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	

23. प्राधिकृत प्रतिनिधि का ब्यौरा

नामांकन आई डी, यदि उपलब्ध हो			
निम्नलिखित ब्यौरें दे, यदि नामांकन आई डी उपलब्ध न हो			
स्थायी खाता संख्या			
आधार, यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध न हो			
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
व्यक्ति का नाम			
पदनाम/प्रास्थिति			
मोबाइल नंबर			
ई मेल पता			
टेलीफोन नंबर, एस टी डी के साथ		फैक्स नंबर, एस टी डी के साथ	

24. □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□

वृत्तिक कर नामांकन कोड संख्या

वृत्तिक कर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या

उत्पाद शुल्क अनुज्ञप्ति संख्या और उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम से उत्पाद शुल्क की अनुज्ञप्ति है

(क) क्षेत्र 1

(ख) क्षेत्र 1

(ग) ....

(घ) .....

(ड.) क्षेत्र

25. [illegible]

[illegible]-[illegible] ([illegible] 8 [illegible]) [illegible]

26. [illegible]

मैं आधार संख्या के धारक की और से < प्ररुप में दिये गए आधार संख्या के आधार पर पहले से भरे गए> माल और सेवा कर नेटवर्क को अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारण से अपना ब्यौरा प्राप्त कराने हेतु सहमति देता हूं । माल और सेवा कर नेटवर्क ने मुझे सूचित किया है कि पहचान की जानकारी का प्रयोग केवल आधार धारक की पहचान विधिमान्य करने के लिए किया जाएगा और केवल अधिप्रमाणन करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पहचान आंकड़ा संग्रह के साथ साझा किया जाएगा ।

27. [illegible] ([illegible])

.... मैं एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दी गई सूचनी मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य और ठीक है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

हस्ताक्षर

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम...........................

तारीख पदनाम / प्रास्थिति...

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :--

1.	फोटो (जहां आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है) (क) स्वत्वधारी समुत्थान – स्वत्वधारी (ख) भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी – प्रबंध/प्राधिकृत/अभिहित भागीदार (सभी भागीदारों के व्यक्तिगत ब्यौरें प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु प्रबंध भागीदार सहित केवल दस

	भागीदारों की फोटो प्रस्तुत की जाएगी) (ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब – कर्ता (घ) कंपनी – प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति (ङ) न्यास – प्रबंध न्यासी (च) व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय – प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के व्यक्तिगत ब्यौरें प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु अध्यक्ष सहित केवल दस सदस्यों की फोटो प्रस्तुत की जाएगी) (छ) स्थानीय प्राधिकारी – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य (ज) कानूनी निकाय – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य (झ) अन्य – प्रभारी व्यक्ति
2.	कारबार का गठन : भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख, सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य, आदि की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/गठन का प्रमाण ।
3.	कारबार के मुख्य स्थान का प्रमाण : (क) स्वयं के परिसर के लिए-- परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज, यथा नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति । (ख) भाड़े पर लिए गए या पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए-- पट्टाकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ वैध किराए/पट्टा करार की प्रति । (ग) ऊपर (क) और (ख) के अंतर्गत न आने वाले परिसर के लिए— सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ सहमति पत्र की प्रति । शेयर की गई संपत्तियों के लिए भी, यही दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे । (घ) भाड़े पर लिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए, जहां किराए/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है, वहां परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, विद्युत बिल की प्रति के साथ उस प्रभाव का शपथपत्र । (ङ) यदि कारबार का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन का विकासकर्ता है, तो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आवश्यक

	दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को अपलोड करना अपेक्षित है ।
4.	बैंक खाते से संबंधित प्रमाण : बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति या रद्द किए गए चैक की, जिसमें स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता सं0, एम.आई.सी.आर. कोड, आई.एफ.एस.सी. और कोड सहित शाखा विवरण अंतर्विष्ट हो, स्कैन प्रति ।
5.	प्राधिकारपत्र प्ररूप :-- आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के संकल्प या प्राधिकारपत्र की प्रति निम्नलिखित प्ररूप में भरे जाएंगे : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक्) (स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्त्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य आदि) मैं/हम .... (नाम) .... (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) का .... (भागीदार/ कर्त्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य आदि), सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/करते हैं कि << प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, (प्रास्थिति/पदनाम) >> को संकल्प सं0 .... तारीख .... द्वारा (प्रति इसके साथ प्रस्तुत), << माल और सेवा कर पहचान संख्या - कारबार का नाम >>, कारबार के लिए, जिसके लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल किया जा रहा है, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । इस कारबार के संबंध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे । हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम : प्रास्थिति/पदनाम : (स्वत्वधारी/कारबार इकाई का नाम)
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अभिस्वीकृति मैं << (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) >> उपर्युक्त निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी अभिस्वीकृत देता हूं और मेरे सभी कार्य

	कारबार पर आबद्धकर होंगे ।	
	स्थान : तारीख :	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर (नाम) पदनाम/प्रास्थिति :

रजिसट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. व्यक्ति का नाम, कारबार के स्थायी खाता संख्या में अभिलिखित के अनुसार दर्ज करे । स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी का नाम विधिक नाम के सामने दर्ज करे और स्वत्वधारी का स्थायी खाता संख्या उल्लिखित करे । स्थायी खाता संख्या आय-कर डाटाबेस से सत्यापित किया जाएगा ।

2. सत्यापन और भावी संसूचना के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराएं, जो आवेदन के भाग ख को भरे जाने से पूर्व, पृथक रूप से भेजे जाने वाले एक समय पासवर्ड द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।

3. कारबार द्वारा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता घोषित किए जाने की दशा में, आवेदक द्वारा स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्त्ता/प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्यों आदि के हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी आवश्यक है ।

4. निम्नलिखित व्यक्ति नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को अंकीय हस्ताक्षर कर सकते है :--

कारबार का गठन	व्यक्ति, जो आवेदन को अंकीय हस्ताक्षर कर सकते है
स्वत्वधारिता	स्वत्वधारी
भागीदारी	प्रबंध/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
सोसाइटी/क्लब/ट्रस्ट/व्यक्ति संगम	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	प्रभारी व्यक्ति
पब्लिक सेक्टर उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
असीमित कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक

सीमित दायित्व भागीदारी	पदाभिहित भागीदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	प्रभारी व्यक्ति

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में जानकारी वैकल्पिक है । यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि नामांकित है तो कृपया सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध सूची से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का चयन करे, अन्यथा ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराएं ।

6. राज्य से संबंधित सूचना केवल संबंधित राज्य के लिए ही सुसंगत है ।

7. नीचे वर्णित व्यक्तियों द्वारा भरे गए आवेदन अंकीय रूप से हस्ताक्षरित होंगे :--

क्रम सं0	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित हस्ताक्षर का प्रकार
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम असीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और उसके ऊपर के
2.	उपर्युक्त से अन्यथा	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और उसके ऊपर के ई-हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो अधिसूचित किया जाए ।

8. स्थायी खाता संख्या, आधार, निदेशक पहचान संख्या, चालान पहचान संख्या से संबंधित सभी सूचना, प्रणाली द्वारा आनलाइन विधिमान्य की जाएगी और सभी भरी गई सूचना के सफलतापूर्वक विधिमान्य किए जाने के पश्चात् अभिस्वीकृति प्राप्ति संख्या जनित किया जाएगा ।

9. आनलाइन फाईल किए गए आवेदन की प्रास्थिति, अभिस्वीकृत पर उपदर्शित आवेदन संदर्भ संख्या (ए.आर.एन.), सामान्य पोर्टल पर प्रविष्ट करके, देखी जा सकती है ।

10. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाईल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है ।

11. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा ।

12. किसी व्यक्ति को, जिसके किसी राज्य के भीतर बहु शीर्षका कारबार हैं, जो अपने किसी कारबार शीर्षका के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण चाहता है, प्रत्येक शीर्षका के संबंध में पृथक् रूप से आवेदन करना आवश्यक होगा ।

13. आवेदन के अनुमोदन के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

14. आवेदन के भाग क में प्रारंभिक ब्यौरे सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के पश्चात् अस्थायी संदर्भ संख्या (टी.आर.एन.) आबंटित किया जाएगा, जिसका आवेदन के भाग ख में ब्यौरे भरने के लिए उपयोग किया जाएगा । अस्थायी संदर्भ संख्या सामान्य पोर्टल पर 15 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा ।

15. कोई व्यक्ति, जो नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने के लिए, प्ररूप जी.एस.टी. आर.ई.जी. 01 के भाग 10 में, विकल्प दे सकेगा, जो उक्त धारा के अधीन कर का भुगतान करने की सूचना समझी जाएगी ।

प्ररूप जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण -2

(नियम 8(5) देखें)

अभिस्वीकृति

आवेदन सन्दर्भ संख्या

आपने आवेदन सफलतापूर्वक फाइल कर दिया है और आवेदन की विशिष्टियां निम्नानुसार है :

फाइल करने की तारीख :

फाइल करने का समय :

माल और सेवाकर पहचान संख्या, यदि उपलब्ध हो :

विधिक नाम :

व्यापार नाम :

प्ररूप संख्या :

प्ररूप वर्णन :

केन्द्र अधिकारिता :

राज्य अधिकारिता :

फाइल किया गया :

स्थायी निदेश संख्या, यदि कोई हो :

संदाय के ब्यौरे : चालान पहचान संख्या :

तारीख :

रकम :

यह सिस्टम जनरेटेड अभिस्वीकृति है और किसी हस्ताक्षर की अवश्यकता नहीं है :

*केवल आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति के मामले में लागू ।

जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण -3 प्ररूप

(नियम 9(2) देखें)

निदेश संख्या तारीख

सेवा में,

आवेदक का नाम,
पता,
माल और सेवाकर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)
आवेदन निदेश संख्या

अतिरिक्त जानकारी/ स्पष्टीकरण/दस्तावेजों के लिए नोटिस रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दकरण के लिए आवेदन से संबंधित

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दकरण के लिए आवेदन के सन्दर्भ में है कि विभाग ने आपके आवेदन की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं है :

1.
2.
3.

? आप तारीख .... तक अपना जबाव प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किए जाते हैं

? आप तारीख .... को .... समय पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए निदेशित किए जाते हैं ।

यदि निर्धारित तारीख तक जबाव नहीं आता है तो आपका आवेदन अस्वीकृत होने का दायी होगा ।
कृपा नोट करें कि इस मामले में कोई और नोटिस/अनुस्मारक जारी नहीं किया जाएगा ।

हस्ताक्षर

उचित अधिकारी का नाम

पद नाम

अधिकारिता

*नए रजिस्ट्रीकरण आवेदन के लिए लागू नहीं ।

प्ररूप जी.एस.टी. रजिसट्रीकरण -04

(नियम 9(2) देखें)

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दकरण के लिए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज

1.	नोटिस के ब्यौरे	निदेश संख्या		तारीख	
2.	आवेदन के ब्यौरे	निदेश संख्या		तारीख	
3.	जीएसटीआईएन, यदि लागू हो				
4.	कारबार का नाम (विधिक)				
5.	व्यापार नाम, यदि कोई हो				
6.	पता				
7.	क्या रजिस्ट्रीकरण या फील्ड के लिए आवेदन में कोई उपांतरण अपेक्षित है				हां ? नहीं ? (एक पर निशान लगाएं)
8.	अतिरिक्त जानकारी				
9.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची				
10	सत्यापन				
	मैं...सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषित करता हूं कि ऊपर दिए गई जानकारी मेरे सर्वोत्त ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर नाम पद नाम/प्रास्थिति स्थान : तारीख :				

टिप्पणी :

1. नए रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल रजिस्ट्रीकरण आवेदन संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगा यदि मद सात में विकल्प हां चुने ।

2. रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों के संशोधन के लिए संशोधन के लिए आशयित फील्ड संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगी यदि मद 7 में विकल्प हां चुने ।

प्ररूप जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण -05

(नियम 9(4) देखें)

सन्दर्भ संख्या :

सेवा में

आवेदक का नाम :
पता
माल और सेवा कर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/ रद्दकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृती का आदेश

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए जबाव के सन्दर्भ में है । विभाग ने आपके जबाव की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं है :

1.
2.
3.

इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है ।

या

आपने निदेश संख्या तारीख द्वारा जारी नोटिस का जबाव उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया है । इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है ।

हस्ताक्षर
नाम
पद नाम
अधिकारिता

उत्तर प्रदेश सरकार

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण -06

(नियम 10(1) देंखे)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रीकरण संख्या जीएसटीआईएन/यूनिक नंबर (यूआई एन)

1. विधिक नाम
2. व्यापार नाम, यदि कोई हो
3. कारबार का गठन
4. कारबार के मूल स्थान का पता
5. दायित्व की तारीख दिन/माह/वर्ष
6. विधिमान्यता की अवधि दिन/माह/वर्ष से दिन/माह/वर्ष तक
   (कारधेय व्यक्ति या

   आकस्मिक कराधेय व्यक्ति

   अनिवासी मामले में केवल

   लागू)
7. रजिस्ट्रीकरण का प्रकार
8. अनुमोदन प्राधिकारी की विशिष्टियां
   i. केन्द्र राज्य

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय

9. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख

टिप्पणी – रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र राज्य में कारबार के सभी स्थानों में मुख्य रूप से दर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित है ।

उपाबंध क

कारबार के अतिरिक्त स्थानों के ब्यौरे

माल और सेवा कर पहचान संख्या
विधिक नाम
व्यापार नाम,यदि कोई हो
राज्य में कारबार के अतिरिक्त स्थानों की कुल संख्या

क्रम सं.	पता
1	
2	
3	

उपाबंध ख

माल और सेवा कर पहचान संख्या

विधिक नाम

व्यापार का नाम, यदि कोई हो

स्वत्वधारी/भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक प्रबंध समिति व्यक्ति संगमों के सदस्य/ न्यासियों का बोर्ड आदि

1. फोटो नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

राज्य का निवासी

2. फोटो नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

राज्य का निवासी

3. फोटो नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

राज्य का निवासी

4. फोटो नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

राज्य का निवासी

5. फोटो नाम

पदनाम /प्रास्थिति

राज्य का निवासी

6. फोटो नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

राज्य का निवासी

7. फोटो नाम

पदनाम /प्रास्थिति

राज्य का निवासी

8. फोटो नाम

पदनाम /प्रास्थिति

राज्य का निवासी

9. फोटो नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

राज्य का निवासी

10. फोटो नाम

पदनाम /प्रास्थिति

राज्य का निवासी

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण -07

(नियम 12 (1) देंखे)

धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर कलक्टर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-   जिला-

भाग क

(i) कर कटौतीकर्ता या कर कलक्टर का विधिक नाम (स्थायी खाता संख्या /कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या में उल्लेखानुसार)

(ii) स्थायी लेखा संख्या

(कारबार के स्थायी खाता संख्या भरें समुत्थान स्वत्वधारिता के मामले में व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या भरें)

(iii) कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या

(कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या, यदि स्थायी लेखा संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(iv) ई-मेल पता

(v) मोबाइल पता

टिप्पणी – भाग ख भरे जाने के लिए पूर्व कार्रवाई के आन लाइन सत्यापन के अधीन उपर्युक्त सूचना प्रस्तुत किया जाना है ।

भाग ख

1. व्यापार का नाम,यदि कोई हो
2. कारबार का गठन (उचित चयन करें)

(i) स्वत्वधारी?
(ii) भागीदारी ?
(iii) हिन्दु अविभक्त कुटुंब ?
(iv) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ?
(v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी ?
(vi) सोसाइटी/ क्लब /न्यास/व्यक्तियों का संगम ?
(vii) सरकारी विभाग ?
(viii) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ?
(ix) असीमित कंपनी ?

(x) सीमित दायित्व भागीदारी ?
(xi) स्थानीय प्राधिकारी ?

(xii) कानूनी निकाय ?
(xiii) विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी ?
(xiv) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत में) ?
(xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ?

3. राज्य का नाम जिला

4.अधिकारिता राज्य केन्द्र

सेक्टर/सर्किल /वार्ड /प्रभार/यूनिट इत्यादि

5	**रजिस्ट्रीकरण का प्रकार**	**कर कटौतीकर्ता** ◯ **कर कलक्टर** ◯
6.	**सरकार (केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)**	**केन्द्र** ◯ **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र** ◯

7.	**कर की कटौती करने/संग्रहीत करने के दायित्व की तारीख**	**तारीख/मास/वर्ष**		
8.	**(क) कारबार के मुख्य स्थान का पता**			
भवन सं./फ्लैट सं.			**तल सं.**	
परिसर/भवन का नाम			**मार्ग/गली**	
शहर/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम			**जिला**	
ब्लॉक/ताल्लुका				
देशान्तर			**अक्षांश**	
राज्य			**पिन कोड**	
(ख) संपर्क सूचना				
कार्यालय ई-मेल पता		**कार्यालय टेलीफोन नं.**		

मोबाइल नं.			कार्यालय फैक्स नं.		
(ग)	परिसरों के कब्जे की प्रकृति				
स्वामित्व	पट्टे पर दिया गया	किराये पर दिया गया	सहमति	साझा की हुई	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
9.	क्या आपने उसी राज्य में माल और सेवा कर के अधीन कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए हैं?	हां ☐ नहीं ☐			
10	यदि हां, माल और सेवा कर पहचान संख्या का उल्लेख करें				
11	आइईसी (आयातकर्ता निर्यातकर्ता कोड), यदि लागू हों				
12	कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी डीडीओ (आहरण और संवितरण अधिकारी)/व्यक्ति के ब्यौरे				
विशिष्टियां					
नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम		
पिता का नाम					
फोटो					
जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग	<पुरूष, स्त्री, अन्य>		
मोबाइल नं.		ई-मेल पता			
टेलीफोन सं. एसटीडी सहित					
पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)			
स्थायी खाता संख्या		आधार संख्या			
क्या आप बाहर के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट नं. (विदेशी व्यक्तियों के मामले में)			
निवास पता					
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.			

परिसर/भवन का नाम		परिक्षेत्र/ग्राम	
राज्य		पिन कोड	

13. **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे**

प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए चेक बॉक्स ☐

हस्ताक्षरी सं. 1 के ब्यौरे

विशिष्टयां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग	<पुरूष, स्त्री, अन्य>
मोबाइल नं.		ई-मेल पता	
टेलिफोन नं. एसटीडी सहित			

पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी खाता संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट सं.(विदेशी व्यक्तियों के मामले में)	

निवास पता (भारत के भीतर)

भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.						
परिसर/भवन का नाम		मार्ग/गली						
शहर/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम		जिला						
राज्य		पिन कोड						
ब्लॉक/ताल्लुका								

टिप्पणी-अतिरिक्त लिखें....	
14.	**सहमति** **मैं आधार सं <प्ररूप में दी गई आधार सं. के आधार पर पहले भरा गया> के धारक की ओर से अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अपने ब्यौरे प्राप्त करने के लिए "माल और सेवा कर नेटवर्क" के लिए सहमति देता हूं। "माल और सेवा कर नेटवर्क" ने मुझे सूचित किया है कि पहचान की जानकारी केवल आधार धारक की पहचान को विधिमान्य करने के लिए प्रयोग की जाएगी और इसे अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान आंकड़ा संग्रह के साथ साझा किया जाएगा।**
15.	**सत्यापन** **मैं सत्य निष्ठा से यह प्रति ज्ञात करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्म ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।** (**हस्ताक्षर**) **स्थान**: **कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति/आहरण और वितरण अधिकारी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम** **तारीख** **(पदनाम)**

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार विभागों या प्रतिष्ठानों या स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय अभिकरणों पर लागू नहीं होगा):-

कारबार के मुख्य स्थान का प्रमाण:

(क) स्वयं के परिसरों के लिए –

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत के बिल की प्रति।

(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए–

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए –

नगरपालिका खाता की प्रति या विद्युत के बिल की प्रति जैसे सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।

(घ) किराए पर दिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए जहां किराया/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है वहां परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज जैसे बिजली के बिल की प्रति के साथ इस आशय का शपथपत्र।

(ङ) यदि कारबार का मूल स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज या प्रमाणपत्र अपलोड किए जाने अपेक्षित हैं।

□□ □□□□□□□□□□□/□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□

1. कारबारिक कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या/स्थायी खाता संख्या पर यथा अभिलिखित कर कटौतीकर्ता/कर संग्रहकर्ता का नाम प्रविष्ट करे। कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या/स्थायी खाता संख्या आय-कर विभाग डाटाबेस के साथ सत्यापित किए जाएंगे।

2. सत्यापन और भावी संसूचना के लिए कर की कटौती करने/कर संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार डीडीओ (आहरण और वितरण अधिकारी/व्यक्ति की ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराए जिससे आवेदन भरने से पहले पृथकतः भेजे जाने वाले वनटाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।

3. ऐसा व्यक्ति जो डीडीओ/कर की कटौती करने वाले/कर संग्रह करने वाले व्यक्ति के रूप कार्य कर रहा है, आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकता है।

4. अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा।

क्र. सं.	आवेदक के प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अपरिसीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी समिति दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के ई-हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो विनिर्दिष्ट हो या जो

		अधिसूचित किया जाए

5. स्थायी खाता संख्या, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा आनलाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात् तैयार की जाएगी।

6. ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की प्रास्थिति को सामान्य पोर्टल पर देखा जा सकता है।

7. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है।

8. प्राधिकृत व्यक्ति अवयस्क नहीं होगा।

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण -08

[नियम 12(3) देखें]

संदर्भ सं. **तारीख**:

सेवा में

नाम:

पता:

आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन) (उत्तर) **तारीख**:

स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर कलक्टर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का आदेश

यह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए संदर्भ संख्या........, तारीख........... द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में है।

☐ **चूंकि कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर फाइल नहीं किया गया है**

☐ **चूंकि सुनवाई के लिए नियत तारीख को आप हाजिर नहीं हुए**

☐ **चूंकि कारण बताओ सूचना के प्रति आपका उत्तर और सुनवाई के समय किए गए निवेदनों की जांच की गई है। अधोहस्ताक्षरी की यह राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) के लिए रद्द किये जाने का दायी है।**

1.
2.

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख <<**तारीख/मास/वर्ष** >>.

आपको............ (तारीख) को या इससे पहले अधोलिखित रकम का संदाय करने के लिए निदेश दिया जाता है जिसके न हो सकने पर रकम अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूल की जाएगी। (यह आदेश आपके डैश बोर्ड पर भी उपलब्ध है)

शीर्ष	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
कुल					

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण -09
[नियम 13(1) देखें]

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

भाग-क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र – **जिला** -

(i)	**अनिवासी कराधेय व्यक्ति का विधिक नाम**	
(ii)	**अनिवासी कराधेय व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या, यदि कोई हो**	
(iii)	**पासपोर्ट संख्या, यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं है**	
(iv)	**कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है**	
(v)	**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (स्थायी खाता संख्या के अनुसार)**	
(vi)	**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी खाता संख्या**	
(vii)	**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता**	
(viii)	**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नं. (**+91)	
टिप्पणी - जहां व्यवहार्य हो, भाग – ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन है।		

भाग-ख

1.	**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे (भारत का निवासी होना चाहिए)**		
	प्रथम नाम	**मध्य नाम**	**अन्तिम नाम**
	फोटो		
	लिंग		**पुरूष/स्त्री/अन्य**
	पदनाम		

	जन्म की तारीख			तारीख/मास/वर्ष				
	पिता का नाम							
	राष्ट्रीयता							
	आधार							
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पता			पता पंक्ति 1				
				पता पंक्ति 2				
				पता पंक्ति 3				
2.	वह अवधि, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है	से		तक				
		तारीख/मास/वर्ष		तारीख/मास/वर्ष				
3	आवर्त के ब्यौरे	प्राक्कलित आवर्त (रुपये)		प्राक्कलित कर दायित्व (शुद्ध) (रुपये				
		राज्य के भीतर	अन्तर्राज्यीय	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
4	मूल देश में अनिवासी कराधेय व्यक्ति का पता							
	(कारबार अस्तित्व के मामले में - कार्यालय का पता)							
	पता पक्ति 1							
	पता पक्ति 2							
	पता पक्ति 3							
	देश (ड्रॉप डाउन)							
	जिप कोड							
	ई-मेल पता							
	टेलिफोन नं.							
5	भारत में कारबार के मुख्य स्थान का पता							
	भवन सं./फ्लैट सं.			तल सं.				
	परिसर/भवन का नाम			मार्ग/गली				

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td colspan="2">शहर/नगर/ग्राम/परिक्षेत्र</td><td colspan="4" rowspan="2">जिला</td></tr>
<tr><td colspan="2">ब्लॉक/ताल्लुका</td></tr>
<tr><td colspan="2">देशांतर</td><td colspan="4">अक्षांश</td></tr>
<tr><td colspan="2">राज्य</td><td colspan="4">पिन कोड</td></tr>
<tr><td colspan="2">मोबाइल नं.</td><td colspan="4">टेलीफोन नं.</td></tr>
<tr><td colspan="2">ई-मेल पता</td><td colspan="4">फैक्स नं. एसटीडी सहित</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td colspan="6">भारत में बैंक खाते के ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>लेखा संख्या</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">लेखा का प्रकार</td><td></td></tr>
<tr><td>बैंक का नाम</td><td></td><td>शाखा का पता</td><td></td><td>आईएफएससी</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="6">अपलोड किए गए दस्तावेज

प्ररूप में क्षेत्र मूल्य के अनुसार ग्राहक-अपेक्षित दस्तावेजों (अनुदेश देखें) की सूची को अपलोड करने की अपेक्षा की जाती है</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="6">घोषणा
मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।

हस्ताक्षर

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख: पदनाम:</td></tr>
</table>

□□□□□□□ : □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ (□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□) □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□

□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□:-

1.	कारबार के मुख्य स्थान का प्रमाण: (क) स्वयं के परिसरों के लिए – परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति

	(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए– **नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, जैसे पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति।** **(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए –** **नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/साझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।**
2.	**अनिवासी कराधेय व्यक्ति के प्रमाण:** **बीजा के ब्यौरे सहित अनिवासी कराधेय व्यक्ति के पासपोर्स की स्कैन की गई प्रति। भारत से बाहर निगमित या स्थापित कारबार अस्तित्व के मामले में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसकी कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर उस राज्य की सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है या उसका स्थायी लेखा संख्यांक, यदि उपलब्ध हों, के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।**
3	**बैंक खाता से सम्बन्धित प्रमाण:** **बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पेज की स्कैन की गई प्रति या स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर, आईएफएससी और कोड सहित शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाला रद्द चेक की स्कैन की गई प्रति।**
4	**प्राधिकार प्ररूप:-** **आवेदन प्ररूप में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, निम्नलिखि रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबन्ध समिति या निदेशक बोर्ड का प्राधिकार या उसके संकल्प के प्रति: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए अलग से) स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड आदि के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्य) मैं/हम.................(नाम) जो ....(रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) के (भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड आदि के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्य हैं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करते हैं कि <<प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (प्रास्थिति/पदाभिधान)>> कारबार<<माल और सेवा कर पहचान संख्या - कारबार का नाम >> जिसके लिए अधिनियम के अधीन आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए फाइल किया गया है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए संकल्प संख्या............. तारीख.............(इसके साथ प्रस्तुत प्रति) द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। इस कारबार के सम्बन्ध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे**

हस्ताक्षर

नामः

पदनाम/प्रास्थिति:

(स्वत्वधारी/कारबार अस्तित्व का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति

मैं <<(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)>> सत्य निष्ठा से ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

पता:

तारीख:

पदनाम/प्रास्थिति:

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए निदेश-

1. □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□

2. सामान्य पोर्टल पर कारबार के प्रारम्भ से कम से कम पांच दिन पहले आवेदन करें।

3. आवेदक को सत्यापन तथा भावी संसूचना के लिए ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराना आवश्यक है जो आवेदन के भाग - ख को भरने से पूर्व, पृथक रूप से भेजने जाने वाले वन टाईम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।

4. आवेदक को स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/प्रबन्ध निदेशकों और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्यों द्वारा हस्ताक्षिरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करना आवश्यक है, यदि कारबार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में घोषित करता है।

5. अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा।

क्र. सं.	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अपरिसीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी समिति दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के, ई-हस्ताक्षर या जो अधिसूचित किया जाए

6. स्थायी खाता संख्या, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा आनलाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात् तैयार की जाएगी।

7. ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की प्रास्थिति को सामान्य पोर्टल पर देखा जा सकता है।

8. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है।

9. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भारतीय नागरिक होगा और वह अवयस्क नहीं होगा

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण -10
[नियम 14(1) देखें]

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

भाग-क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र – **जिला -**

(i)	**व्यक्ति का विधिक नाम**	
(ii)	**व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या, यदि कोई हो**	
(iii)	**कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है**	
(iv)	**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (स्थायी खाता संख्या के अनुसार)**	
(v)	**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी खाता संख्या**	
(vi)	**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता**	
(vii)	**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नं. (**+91)	

टिप्पणी - जहां व्यवहार्य हो, भाग – ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन है।

भाग-ख

1.	**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौर (भारत का निवासी होगा)**		
	प्रथम नाम	**मध्य नाम**	**अन्तिम नाम**
	फोटो		
	लिंग		**पुरूष/स्त्री/अन्य**
	पदनाम		
	जन्म की तारीख		**तारीख/मास/वर्ष**
	पिता का नाम		

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="3">राष्ट्रीयता</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">आधार, यदि कोई हो</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पता</td><td colspan="3">पता पंक्ति 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">पता पंक्ति 2</td></tr>
<tr><td colspan="3">पता पंक्ति 3</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">भारत में ऑनलाइन सेवा के प्रारम्भ की तारीख</td><td colspan="3">तारीख/मास/वर्ष</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">वेबसाइट, जिसके माध्यम से कराधेय सेवा उपलब्ध कराई जाती हैं, के एक समान स्रोत अवस्थापक (यूआलएल):
1.
2.
3…</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">अधिकारिता</td><td colspan="2">केन्द्र</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td colspan="6">बैंक खाते के ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>खाता सं.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">खाता का प्रकार</td><td></td></tr>
<tr><td>बैंक का नाम</td><td></td><td>शाखा का पता</td><td></td><td>आइएफएससी</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="6">अपलोड किये गये दस्तावेज

प्ररूप में क्षेत्र मूल्य के अनुसार ग्राहक-अपेक्षित दस्तावेजों (अनुदेश देखें) की सूची को अपलोड करने की अपेक्षा की जाती है।</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="6">घोषणा
मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।

मैं..........यह घोषणा करता हूं कि मैं रजिस्टरकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं। मैं कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित गैर-निर्धारिती ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता से दायी कर प्रभारित करूंगा और संग्रहीत करूंगा और उसे भारत सरकार में जमा करूंगा।

हस्ताक्षर

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख: पदनाम :</td></tr>
</table>

□□□□□□□□: □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ (□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□) □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है।

1.	**भारत में कारबार के स्थान का प्रमाण**: **(क) स्वयं के परिसरों के लिए** – **नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, जैसे परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज।** **(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए**– **नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति।** **(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए** – **नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, जैसे सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।**
2.	**निम्नलिखित के प्रमाण**: **बीजा ब्यौरों के साथ अनिवासी करदाता के पासपोर्ड की स्कैन की गई प्रति। कंपनी/सोसाइटी/एलएलपी/एफसीएनआर आदि के मामले में ऐसा व्यक्ति, जो प्राधिकार पत्र के साथ मुख्तारनामा धारण करता है।** **निगमन के प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति यदि कंपनी भारत से बाहर या भारत में रजिस्ट्रीकृत है।** **उद्भव के देश द्‌वारा जारी अनुज्ञप्ति की स्कैन की गई प्रति** **भारत सरकार द्‌वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।**
3	**बैंक खाता से सम्बन्धित प्रमाण**: **बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ/बैंक विवरण के एक पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति।** **स्वत्वधारी/कारबार समुत्थान के नाम में धारित बैंक पासबुक का आरंभिक पृष्ठ, जिसमें खाता धारक का खाता संख्या, नाम/एमआइसीआर और आइएफएससी तथा शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट हों।**

4

प्राधिकार प्ररूप:-

प्राधिकार प्ररूप में उल्लिखित हस्ताक्षरकर्ता के लिए, निम्नलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के प्राधिकार या उसके संकल्प की प्रति:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए अलग से)

मैं ....(प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्तारनामा धारक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि कारबार <<कारबार का नाम>> जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन फाइल किया जा रहा है/ रजिस्ट्रीकृत है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए <<प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम>> प्राधिकृत हूं।

इस कारबार के सम्बन्ध में उसकी सभी कार्रवाईयां मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगी।

उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर, जो प्रभारी हैं।

क्र. सं.	पूरा नाम	पदनाम/प्रास्थिति	हस्ताक्षर
1.			

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति

मैं <<(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम>> ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने की अपनी स्वीकृति सत्यनिष्ठा से देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।

(नाम) **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर स्थान**

तारीख: **पदनाम/प्रास्थिति**

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण -11

[नियम 15(1) देखें]

आकस्मिक/अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण अवधि के विस्तार के लिए आवेदन

<table>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">जीएसटीआइएन</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">नाम (विधिक)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">व्यवसाय का नाम, यदि कोई हो</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">पता</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="2" rowspan="2">विधिमान्यता की अवधि (मूल)</td><td colspan="2">से</td><td colspan="3">तक</td></tr>
<tr><td colspan="2">तारीख/मास/वर्ष</td><td colspan="3">तारीख/मास/वर्ष</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="2" rowspan="2">वह अवधि जिसके लिए विस्तार का अनुरोध किया गया है</td><td colspan="2">से</td><td colspan="3">तक</td></tr>
<tr><td colspan="2">तारीख/मास/वर्ष</td><td colspan="3">तारीख/मास/वर्ष</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td colspan="2">विस्तारित अवधि के लिए आवर्त के ब्यौरे (रुपये)</td><td colspan="5">विस्तारित अवधि के लिए प्राक्कलित कर दायित्व (शुद्ध) (रूपये)</td></tr>
<tr><td>अन्तर्राज्यीय</td><td>राज्य के भीतर</td><td>केन्द्रीय कर</td><td>राज्य कर</td><td>संघ राज्यक्षेत्र कर</td><td>एकीकृत कर</td><td>उपकर</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td colspan="7">संदाय के ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>तारीख</td><td>सीआइएन</td><td colspan="2">बीआरएन</td><td colspan="3">रकम</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="7">घोषणा-
मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।</td></tr>
<tr><td colspan="8">हस्ताक्षर
स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
तारीख: पदनाम/प्रास्थिति:</td></tr>
</table>

विधिमान्यता के विस्तार के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुदेश

1. **आवेदन विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है।**
2. **आवेदन केवल तब फाइल किया जा सकता है जब अग्रिम संदाय किया जाता है।**
3. **सफलापूर्वक फाइल करने के पश्चात्, आवेदन संदर्भ संख्या तैयार की जाएगी जिसे आवेदन की प्रास्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।**

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण - 12

[नियम 16(1) देखिए]

संदर्भ संख्या - **तारीख:**

सेवा में,

(नाम):

(पता):

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण संख्या

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण /स्वप्रेरणा से रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए आदेश

अधोहस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के दायी हैं और इसलिए आपका अस्थायी आधार पर रजिस्ट्रीकरण किया जाता है । कारबार परिसर से पता लगाई गई कारबार की विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

उस व्यक्ति के ब्यौरे, जिसे अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है			
1.	नाम और विधिक नाम, यदि लागू हो		
2.	लिंग		पुरुष/ महिला/ अन्य
3.	पिता का नाम		
4.	जन्म की तारीख		दिन/ मास/वर्ष
5.	व्यक्ति का पता	भवन संख्या/फ्लैट संख्या	
		मंजिल	
		परिसर/भवन का नाम	
		सड़क गली	
		शहर/नगर/लोकलिटी/ग्राम	
		ब्लॉक/तालुका	
		जिला	
		राज्य	
		पिन कोड	
6.	व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो		

7.	मोबाइल नंबर	
8.	ईमेल पता	
9.	अन्य पहचान, यदि कोई हो (मतदाता पहचान संख्या/पासपोर्ट संख्या/चालन अनुज्ञप्ति संख्या/आधार संख्या/अन्य)	
10.	अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के कारण	
11.	रजिस्ट्रीकरण /अस्थायी पहचान की प्रभावी तारीख	
12.	रजिस्ट्रीकरण संख्या/अस्थायी पहचान	

(अभिग्रहण मेमो/निरुद्ध मेमो/कोई अन्य समर्थनकारी दस्तावेज़ का अपलोड किया जाना)

<< आपको इस आदेश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर उचित रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने का निदेश दिया जाता है >>

हस्ताक्षर

स्थान << अधिकारी का नाम >> >>

तारीख: पदनाम/अधिकारिता :

टिप्पणी: आदेश की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले तत्स्थानी केंद्रीय/राज्य प्राधिकारी को भेजी जाएगी ।

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण - 13

[नियम 17 (1) देखिए]

संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/ अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या अनुदत्त् करने के लिए आवेदन/प्ररूप

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - **जिला -**

भाग क

(i)	इकाई का नाम	
(ii)	इकाई की स्थायी खाता संख्या, यदि कोई है (किसी अन्य अधिसूचित व्यक्ति की दशा में लागू)	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की स्थायी खाता संख्या	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ईमेल पता	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर (+91)	

भाग ख

1.	इकाई का प्रकार (कोई एक चुनें)	संयुक्त राष्ट्र दूतावास अन्य व्यक्ति		
2.	देश			
3.	अधिसूचना के ब्यौरे		अधिसूचना संख्या	तारीख
4.	राज्य में इकाई का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल	
	परिसर/भवन का नाम		सड़क/ गली	
	शहर/कस्बा/गाँव		जिला	
	ब्लॉक/तालुका			
	अक्षांश		देशान्तर	
	राज्य		पिन कोड	
	संपर्क सूचना			
	ईमेल पता		टेलीफोन नंबर	

	फैक्स नंबर		मोबाइल नंबर	
7.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे, यदि लागू हों			
	विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	नाम			
	फोटो			
	पिता का नाम			
	जन्म की तारीख	दिन/ मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, महिला, अन्य>
	मोबाइल नंबर		ईमेल पता	
	टेलीफ़ोन नंबर			
	पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
	स्थायी खाता संख्या		आधार संख्या	
	क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशियों के मामले में)	
	घर का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल	
	परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
	नगर/शहर/गांव		जिला	
	ब्लॉक/तालुका			
	राज्य		पिन कोड	
8.	बैंक खाता ब्यौरे (यदि आवश्यक हो तो और जोड़ें)			
	खाता संख्या		खाते का प्रकार	
	आईएफएससी		बैंक का नाम	
	शाखा का पता			
9.	*अपलोड किए गए दस्तावेज*			

	प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि से भिन्न) ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत इकाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सम्मिलित हैं, को अपलोड किया जाएगा । *या* *उचित अधिकारी, जिसने आवेदक (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि) से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि का भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सम्मिलित हैं, के साथ सृजित और संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि को आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या को अपलोड किया जाएगा ।*
11.	सत्यापन *मैं सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।*

स्थान: (हस्ताक्षर

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम:

या

(हस्ताक्षर)

स्थान: उचित अधिकारी का नाम:

तारीख: पदनाम:

अधिकारिता:

सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश ।

- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा ।
- आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा या उचित अधिकारी द्वारा स्व:प्रेरणा से रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया जा सकता है
- सामान्य पोर्टल पर फाइल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से हस्ताक्षर करना अपेक्षित है
- संबंधित निकाय द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत ब्यौरों को आवेदन में "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे" के सामने भरा जाना चाहिए ।

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण - 14

[नियम 19(1) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन

(सभी प्रकार के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन/यूआईएन	
2. कारबार का नाम	
3. रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	
4. संशोधन सारांश	

क्रम सं.	फील्ड नाम	प्रभावी तारीख (दिन/ मास/वर्ष)	कारण

5. अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची

(क)

(ख)

(ग)

...

6. घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

तारीख : पदनाम/प्रास्थिति:

<u>संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश</u>

1. संशोधन के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा ।
2. कारबार के नाम, कारबार का मुख्य स्थान, कारबार के अतिरिक्त स्थान और भागीदारों या निदेशकों के ब्यौरे, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य, जो कारबार के दिन प्रतिदिन के मामलों के लिए उत्तरदायी है – से संबंधित परिवर्तन, जो रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए अधिदेश नहीं करते हैं, कोर फील्ड हैं, जिनका सम्यक् सत्यापन के पश्चात् उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।
3. गैर-कोर फील्ड में संशोधन के लिए उचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है ।
4. जहां किसी कारबार के गठन में किसी परिवर्तन का परिणाम रजिस्ट्रीकृत की स्थायी खाता संख्या में परिवर्तन के रूप में होता है तो उक्त व्यक्ति से नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना अपेक्षित है ।
5. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के समय-समय पर संशोधित मोबाइल नंबर या ई-मेल पते में परिवर्तन को सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के पश्चात् ही किया जाएगा ।
6. स्थायी खाता संख्या, आधार, निदेशक पहचान संख्या, चालान पहचान संख्या से संबंधित सभी सूचना का आनलाइन विधिमान्यकरण प्रणाली द्वारा किया जाएगा तथा आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) आवश्यक फील्ड के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के पश्चात् सृजित की जाएगी ।
7. आवेदन की प्रास्थिति का सामान्य पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है ।
8. संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है ।
9. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा ।

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण - 15

[नियम 19 (1) देखिए]

संदर्भ संख्या - << >>　　　　　　　　　　　　　　　　तारीख - दिन/ मास/वर्ष

सेवा में

(नाम)

(पता)

रजिस्ट्रीकरण संख्या (माल और सेवा कर पहचान संख्या/*विशिष्ट पहचान संख्या*)

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)　　　　　　　　　　　　　　तारीख - दिन/ मास/वर्ष

संशोधन आदेश

यह आपके आवेदन संख्या ------ तारीख ---- जो रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के संदर्भ में है, के संदर्भ में है। आपके आवेदन की जांच की गई है और उसे सही पाया गया है । रजिस्ट्रीकरण का संशोधन प्रमाण पत्र डाउनलोड किए जाने के लिए आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

तारीख

स्थान

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण - 16

[नियम 20 देखिए]

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन

<table>
<tr><td>1</td><td>जीएसटीआईएन</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>विधिक नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3</td><td>व्यापार नाम,
यदि कोई हो</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>कारबार के
मुख्य स्थान का
पता</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">5</td><td rowspan="8">भावी पत्राचार के लिए पता (ईमेल, मोबाइल टेलीफोन, फ़ैक्स सहित)</td><td>भवन संख्या/फ्लैट संख्या</td><td></td><td>मंजिल</td></tr>
<tr><td>परिसर/भवन का नाम</td><td></td><td>सड़क/गली</td></tr>
<tr><td>शहर/कस्बा/गाँव</td><td></td><td rowspan="2">जिला</td></tr>
<tr><td>ब्लॉक/तालुका</td><td></td></tr>
<tr><td>अक्षांश</td><td></td><td>देशान्तर</td></tr>
<tr><td>राज्य</td><td></td><td>पिन कोड</td></tr>
<tr><td>मोबाइल (देश कोड के साथ)</td><td></td><td>टेलीफोन</td></tr>
<tr><td>ईमेल</td><td></td><td>फैक्स संख्या</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>रद्द करने के
कारण
(एक चुने)</td><td colspan="2">○ कारबार को जारी न रखना/ समापन
○ कर का संदाय करने के लिए दायी होने का समाप्त होना
○ समामेलन, विलयन/अविलयन, विक्रय, पट्टा या अन्यथा निपटान के कारण कारबार का अंतरण आदि ।
○ कारबार के गठन में परिवर्तन के कारण स्थायी खाता संख्या में परिवर्तन
○ एकल स्वत्वधारी की मृत्यु
○ अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="4">कारबार के अंतरण, विलयन की दशा में उस इकाई के रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां, जिसमें विलयन,</td></tr>
</table>

	समामेलन, अंतरण आदि किया गया है

(i)	माल और सेवा कर पहचान संख्या				
(ii)	(क) नाम (विधिक)				
	(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो				
(iii)	कारबार के मुख्य स्थान का पता	भवन संख्या/फ्लैट संख्या		मंजिल	
		परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
		शहर/कस्बा/गाँव		जिला	
		ब्लॉक/तालुका			
		अक्षांश		देशान्तर	
		राज्य		पिन कोड	
		मोबाइल (देश कोड के साथ)		टेलीफोन	
		ईमेल		फैक्स संख्या	
8.	तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना है ।			दिन/ मास/वर्ष	
9.	फाइल किए गए अंतिम रिटर्न की विशिष्टियां				
(i)	कर अवधि				
(ii)	आवेदन संदर्भ संख्या				
(iii)	तारीख				
10.	रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने की प्रभावी तारीख को स्टॉक में धारित इनपुट/पूंजी मालों के संबंध में संदेय कर की रकम				

	विवरण	स्टॉक का मूल्य (रु.)	संदेय इनपुट कर/कर (जो भी अधिक हो) (रुपए)				
			केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	इनपुट						
	अर्द्ध तैयार मालों में						

	अंतर्विष्ट इनपुट						
	तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुट						
	पूंजी माल/संयंत्र और मशीनरी						
	योग						
11.	संदत्त कर के ब्यौरे, यदि कोई हो						
	रोकड़ खाते से संदाय						
	क्रम सं.	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1.						
	2.						
		उप-योग					
आईटीसी खाते से संदाय							
	क्रम सं.	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1.						
	2.						
		उप-योग					
	संदत्त कर की कुल रकम						

12. अपलोड किए गए दस्तावेज	
13. सत्यापन *मैं/हम सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं/ करते हैं कि और यह घोषणा करता हूं/ करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।*	
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
स्थान	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
तारीख	पदनाम/प्रास्थिति

रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुदेश

- अपने रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की वांछा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन, जिसमें इतिशेष स्टॉक और उस पर दायित्व के ब्यौरों के साथ सुसंगत दस्तावेज होंगे, आम पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा ।
- निम्नलिखित व्यक्ति, जो लागू हो, रद्द करने के लिए आवेदन पर डिजीटल रूप से हस्ताक्षर करेंगे :

कारबार का गठन	**व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है**
स्वत्वधारिता	स्वत्वधारी
भागीदारी	प्रबंधक/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सोसाइटी/क्लब/न्यास/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	प्रभारी व्यक्ति
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
असीमित कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	नामनिर्दिष्ट भागीदार
स्थानीय प्राधिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	प्रभारी व्यक्ति

स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में आवेदन संबंधित कर प्राधिकारियों के समक्ष मैनुअल रूप से उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तरवर्ती द्वारा किया जाएगा ।नई इकाई, जिसमें आवेदक स्वयं का समामेलन करने का प्रस्ताव

करता है, को कर प्राधिकारी के पास उसके रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा । यह आवेदन केवल नई इकाई को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् ही किया जाएगा ।
रद् करने के लिए आवेदन करने से पूर्व उस कर अवधि के लिए कृपया अपनी सम्यक् कर विवरणी फाइल करें, जिसमें रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण करने की प्रभावी तारीख आती है ।

- आवेदन की प्रास्थिति का सामान्य पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है ।
- रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है ।
- रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति संदाय करेगा, यदि इस आवेदन को करने के समय नहीं किया गया है तो और अधिनियम में यथाउपबंधित अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा ।
- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने संपर्क के पते को अपडेट करेगा तथा मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को भी अपडेट करेगा ।

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण - 17

[नियम 22(1) देखिए]

संदर्भ संख्या - << तारीख >>

सेवा में
रजिस्ट्रीकरण संख्या (जीएसटीआईएन/यूआईएन)
(नाम)
(पता)

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए कारण बताओ सूचना

मेरी सूचना में आई जानकारी के आधार पर यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित कारणों से आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का दायी है : -

1
2
3
...

? आपको इस सूचना का प्रत्युत्तर इस नोटिस की तामील की तारीख से सात कार्यदिवस के भीतर देने का निदेश दिया जाता है ।

? आपको अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दिन/ मास/वर्ष को घंटा/मिनट पर उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है

यदि आप उपदर्शित तारीख के भीतर प्रत्युत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेखों और गुण-दोषों के आधार पर पक्षीय विनिश्चत कर दिया जाएगा ।

स्थान:
तारीख:

हस्ताक्षर
<अधिकारी का नाम>
पदनाम
अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण - 18

[नियम 22 (2) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए जारी कारण बताओ सूचना का प्रत्युत्तर

<table>
<tr><td>1.</td><td>संदर्भ सूचना की संख्या</td><td></td><td>जारी करने की तारिख</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>जीएसटीआईएन/यूआईएन</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कारबार का नाम (विधिक)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>व्यापार का नाम, यदि कोई हो</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>सूचना का प्रत्युत्तर</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="4">सत्यापन

मैं ____________________________________ सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और यह घोषित करता हूं कि यहां ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/प्रास्थिति

स्थान
तारीख</td></tr>
</table>

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण - 19

[*नियम* 22 (3) *देखिए*]

संदर्भ संख्या - तारीख

सेवा में

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या/*विशिष्ट पहचान संख्या*

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) तारीख

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आदेश

यह आपके द्वारा, तारीख -----की कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्युत्तर दिनांक----के संदर्भ में है

- और कारण बताओं सूचना का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है ; या
- और सुनवाई के लिए नियत दिन को आप उपस्थित नहीं हुए थे ; या
- और अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने सुनवाई के समय दिए गए आपके प्रत्युत्तर और दलीलों की जांच की है और उसका यह मत है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने का दायी है ।

1.

2.

आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने की प्रभावी तारीख << दिन/मास/वर्ष >> है ।

रद्दकरण के अनुसरण में संदेय रकम का अवधारण:

तदनुसार, आपके द्वारा संदेय रकम और उसकी संगणना तथा उसके आधार निम्नानुसार हैं :

पूर्वोक्त संदेय अवधारण की जाने वाली रकम किसी अन्य रकम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जो आपके द्वारा अंतिम विवरण प्रस्तुत किए जाने पर संदेय हो सकती है ।

आपसे .... (तारीख) को या उससे पूर्व निम्नलिखित रकमों का संदाय करना अपेक्षित है, जिसके न हो सकने पर रकम की अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी ।

शीर्ष	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
योग					

स्थान:

तारीख: हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण - 20

[नियम 22 (4) देखिए]

संदर्भ संख्या - तारीख

सेवा में

नाम

पता

जीएसटीआईएन/यूआईएन

कारण बताओं सूचना संख्या तारीख

रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए आदेश

यह आपके द्वारा, तारीख -----की कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्युत्तर दिनांक----के संदर्भ में है। सुनवाई के दौरान दिए गए आपके उत्तर और/या दलीलों पर विचार करने पर रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से समाप्त की जाती हैं :

<< पाठ >>

स्थान:

तारीख: हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटीरजिस्ट्रीकरण -21

[नियम 23(1)देखें]

रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन (रद्द)					
2.	विधिक नाम					
3.	व्यापारिक नाम, यदि कोई हों					
4.	पता (कारबार का मुख्य स्थान)					
5.	रद्दकरण आदेश सं.			तारीख –		
6	रद्दकरण के कारण					
7	फाइल की गई अंतिम विवरणी का ब्यौरा					
	विवरणी की अवधि		आवेदन निदेश संख्या		फाइल करने की तारीख	दिन/ मास/वर्ष
8	रद्दकरण के प्रतिसंहरण का कारण	संक्षिप्त में कारण (विस्तृत कारण संलग्नक के रूप में संलग्न किए जा सकते है)				
9	अपलोड दस्तावेज					
10.	सत्यापन मैं शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है तथा उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है । प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पूरा नाम (प्रथम नाम, मध्य, उपनाम) पदनाम/प्रास्थिति स्थान तारीख					

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

- किसी व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा अपनेआप रद्द कर दिया गया है, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा । यदि रजिस्ट्रीकरण विवरणी प्रस्तुत करने में

असफल रहने के कारण रद्द हुए है तो प्रतिसंहरण हेतु आवेदन तब तक नहीं प्रस्तुत कर सकेगा जबतक कि ऐसी विवरणी प्रस्तुत न कर दी जाये तथा ऐसी विवरणी में कर के रूप में शोध्य कोई रकम ब्याज के लिए संदेय किसी रकम के साथ संदत्त न कर दी जाये ।

- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में किसी परिवर्तन को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा और इनके आनलाईन सत्यापन के पश्चात् सामान्य पोर्टल के माध्यम से विहित रीति में इनको संशोधित किया जाएगा ।
- सामान्य पोर्टल पर आवेदन की प्रास्थिति देखी जा सकेगी ।
- रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं होगा ।

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण -22

[नियम 23(2देखें]

संदर्भ सं. - तारीख

सेवा में
जीएसटीआईएन / यूआईएन
(करदाता का नाम)
(पता)

आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन) तारीख

रजिस्ट्रेशन के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आदेश

रजिस्ट्रेशन के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए अपने आवेदन तारीख दिन/ मास /वर्ष का संदर्भ लें । आपके आवेदन का परीक्षण किया जा चुका है और उसको सही पाया गया है, आपका रजिस्ट्रीकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

उचित अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
(पदनाम)
अधिकारिता –

तारीख
स्थान

प्ररूप जीएसटी-23

[नियम 23(3) देखें]

संदर्भ सं. : तारीख

सेवा में,
आवेदक/ करदाता का नाम
आवेदक/ करदाता का पता
जीएसटीआईएन
आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन): तारीख

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन को खारिज करने के लिए कारण बताओ नोटिस

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के बाबत अपने आवेदन तारीख दिन/मास/वर्ष का संदर्भ लें । आपके आवेदन का परीक्षण किया गया और उसके निम्नलिखित कारणों के कारण खारिज होने योग्य पाया गया :

1.
2.
3.
…

? आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप इस नोटिस के तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों में इस नोटिस का उत्तर दें ।

? आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप दिन/मास/वर्ष को समय घंटा/मिनट पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों ।

यदि आप निर्धारित समय में अपना उत्तर देने में असफल रहते है या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते है तो मामला उपलब्ध अभिलेखों और गुणदोषों के आधार पर एकपक्षीय विनिश्चित कर दिया जाएगा ।

हस्ताक्षर
उचित अधिकारी का नाम
(पदनाम)
अधिकारिता

प्ररूप जीएसटीरजिस्ट्रीकरण -24

[नियम 23(3)देखें]

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन को खारिज करने के नोटिस का उत्तर

1.	नोटिस की संदर्भ सं.		तारीख	
2.	आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन)		तारीख	
3.	जीएसटीआईएन, यदि लागू हों			
4.	सूचना/कारण			
5.	फाइल दस्तावेजों की सूची			
6.	सत्यापन मैं _____________________________ शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है तथा उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है । प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पूरा नाम पदनाम/प्रास्थिति तारीख स्थान			

उत्तर प्रदेश सरकार

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण -25

[नियम 24(1)देखें]

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

1.	अनंतिम पहचान		
2.	स्थायी खाता संख्या		
3.	विधिक नाम		
4.	व्यापारिक नाम		
5.	विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे		
	अधिनियम	रजिस्ट्रीकरण संख्या	
(क)			
(ख)			
(ग)			
तारीख	<प्रमाणपत्र के सृजन की तारीख>	स्थान	<राज्य>

अनंतिम रजिस्ट्रेशन का यह प्रमाणपत्र अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है ।

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण -26

(नियम 24(2) देंखे

विद्‌यमान करदाता के नामांकन के लिए आवेदन	
करदाता का ब्यौरा	
1. अनंतिम पहचान	
2. विधिक नाम (स्थायी खाता सं. अनुसार)	
3. विधिक नाम (राज्य/केन्द्र के अनुस	
4. व्यापारिक नाम, यदि कोई है	
5. कारबार का स्थायी खाता सं0	
6. गठन	
7. राज्य	
7अ. सेक्टर, सर्किल, वार्ड इत्यादि, जो लागू हों	
7आ. अधिकारिता केन्द्र	
8. रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए दायित्व का कारण	पूर्ववर्ती विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण
9. विद्‌यमान रजिस्ट्रीकरण	

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण की तारीख
1	मूल्य संवर्धित कर के अधीन टिन		
2	केन्द्रीय विक्रयकर रजिस्ट्रीकरण सं.		
3	प्रवेश कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
4	मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
5	होटल और लग्जरी कर रजिस्ट्रीकरण सं		
6	केन्द्रीय उत्पाद रजिस्ट्रीकरण सं.		
7	सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं.		

8	कारपोरेट पहचान सं./विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण		
9	सीमित दायित्व साझेदारी पहचान सं. / विदेशी सीमित दायित्व साझेदारी पहचान सं.		
10	आयात/निर्यातक कोड सं.		
11	औषधीय और प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण		
12	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

10. कारबार के मुख्य स्थान का ब्यौरा			
भवन सं. /फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
स्थान/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
अक्षांश		देशान्तर	
संपर्क सूचना			
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष सं.	
मोबाइल सं.		कार्यालय फैक्स सं.	
10अ. परिसर के कब्जे की प्रकृति	(अर्जित, पट्टे पर, किराए पर, सहमति से, साझेदारी)		

10आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाक्लापों की प्रकृति			
फैक्ट्री/निर्माण ○	थोक कारबार ○	खुदरा कारबार ○	भांडागार/डिपो ○
बांडेड भांडागार ○	सेवा उपबंध ○	कार्यालय/विक्रय कार्यालय ○	पट्टा कारबार ○
सेवा प्राप्तकर्ता ○	ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी ○	एस ई जैड ○	इनपुट सेवा वितरक ○
संकर्म संविदा ○	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) ○		

11. कारबार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा			
भवन सं. /फ्लैट सं.		फ्लैट सं.	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
स्थान/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
अक्षांश		देशान्तर	
संपर्क सूचना			
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष सं.	
मोबाइल सं.		कार्यालय फैक्स सं.	
11अ. परिसर के कब्जे की प्रकृति	(अर्जित, पट्टे पर, किराए पर, सहमति से, साझेदारी)		
11आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाक्लापों की प्रकृति			
फैक्ट्री/निर्माण ○	थोक कारबार ○	खुदरा कारबार ○	भांडागार/डिपो ○
बांडेड भांडागार ○	सेवा उपबंध ○	कार्यालय/ बिक्रय कार्यालय ○	पट्टा कारबार ○
सेवा प्राप्तकर्ता ○	ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी ○	एस ई जेड ○	इनपुट सेवा वितरक ○
संकर्म संविदा ○	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) ○	○	○
और जोड़ें			

१२- कारबार द्वारा पूर्ति किए जाने वाले माल/सेवा का ब्यौरा		
क्रम सं.	माल का ब्यौरा	एचएसएन कोड
क्रम सं.	सेवा का ब्यौरा	एस ए सी कोड
13. कारबार चलाने के लिए आपके द्वारा रखे गए कुल बैंक खाते		

क्रम सं.	खाता सं.	खाता का प्रकार	आईएफएससी	बैंक का नाम	शाखा का खाता

14. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे

नाम	**प्रथम नाम**	**मध्य नाम**	**अंतिम नाम**	**फोटो**
पिता/पति का नाम	**प्रथम नाम**	**मध्य नाम**	**अंतिम नाम**	
जन्म तिथि **दिन/मास/वर्ष**	**लिंग**		**पुरुष, स्त्री, अन्य**	
मोबाईल सं.		**ई-मेल पता**		
टेलीफोन सं.				

पहचान सूचना			
पदनाम		**निदेशक पहचान सं.**	
स्थायी खाता संख्या		**आधार सं.**	
क्या आप भारत के नागरिक हैं	**हां या नहीं**	**पासपोर्ट सं.**	
निवास का पता			
भवन/फ्लैट सं.		**तल सं.**	
परिसर/भवन का नाम		**सड़क**/गली	
स्थान/ग्राम		**जिला**	
राज्य		**पिन कोड**	

15. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे

नाम	**प्रथम नाम**	**मध्य नाम**	**अंतिम नाम**	**फोटो**
पिता/पति का नाम	**प्रथम नाम**	**मध्य नाम**	**अंतिम नाम**	
जन्म तिथि	**दिन/मास/वर्ष**	**लिंग**	**पुरुष, स्त्री, अन्य**	
मोबाईल सं.		**ई-मेल पता**		
टेलीफोन सं.				

पहचान सूचना			
पदनाम		**निदेशक पहचान सं.**	
स्थायी खाता संख्या		**आधार सं.**	
क्या आप भारत के नागरिक हैं	**हां या नहीं**	**पासपोर्ट सं.**	
निवास का पता			
भवन/फ्लैट सं.		**तल सं.**	
परिसर/भवन का नाम		**सड़क/गली**	
स्थान/ग्राम		**जिला**	
राज्य		**पिन कोड**	
और जोड़ें			

अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची

दस्तावेजों की पारंपरिक सूची जिनका प्ररूप में क्षेत्रमूल्य के अनुसार अपलोड किया जाना अपेक्षित है, सूची में (अनुदेश देंखे) में प्रत्येक प्रविष्टि के सामने अपलोड सुसंगत दस्तावेज के लिए उपबंध के साथ स्वतः आ जाने चाहिए ।

16. मैं, प्ररूप में प्रदत्त आधार संख्याओं के धारकों के निमित्त माल और सेवाकर नैटवर्क को अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से ब्यौरे प्राप्त करने की सहमति देता हूं । माल और सेवाकर नैटवर्क ने मुझे सूचित कर दिया है कि पहचान सूचना आधार धारक की पहचान की वैधता के लिए प्रयोग किया जाएगा तथा अभिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान आंकड़ा संग्रह के साथ साझा की जाएगी ।

17. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है तथा इसमें कुछ नहीं छिपाया गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम		**स्थान**	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम		**तारीख**	

नामांकन के लिए आवेदन को फाइल करने के लिए अनुदेश

1. प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर कटौती करने वाले से भिन्न या इनपुट सेवा वितरक जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी लेखा सं. रखता है, उसके ई-मेल और मोबाइल सं. वैधता द्वारा सामान्य पोर्टल पर नामांकित किया जाएगा ।

2. खंड (क) के अधीन नामांकन पर उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त किया जाएगा और प्ररूप जी. एस. टी. आर. ई. जी. 25 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जिसमें माल और सेवाकर पहचान सं. होगी को समान पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

3. सामान्य प्ररूप –

आवेदन प्ररूप में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए अधिप्रमाणन या प्रबंध समिति या बोर्ड निदेशकों के संकल्प की प्रति निम्नलिखित फोरमेट रूप विधान में फाइल की जाएगी ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक)

1.

(मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे)

1. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे

2.

3.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि माल और सेवा पहचान सं. – कारबार का नाम, कारबार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करता हूं जिसके लिए माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 – के अधीन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन फाइल किया जाना है /रजिस्ट्रीकृत है ।

इस कारोबार के संबंध में उसके सभी कृत्य मुझ /हम पर बाध्यकारी हैं ।

व्यक्तियों के हस्ताक्षर जो मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि हैं ।

क्रम सं.	पूरा नाम	पदनाम /प्रास्थिति	हस्ताक्षर
1.			
2.			

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति

मैं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम शपथपूर्वक ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर बाध्यकारी होंगें ।

	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
	पदनाम/प्रास्थिति
तारीख	
स्थान	

आनलाईन प्ररूप भरने के लिए अनुदेश

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] –

1.	आवेदन प्ररूप में जहां फोटोग्राफ विनिर्दिष्ट हों (अधिकतम दस) मालिकाना संबंध- मालिक साझेदारी फर्म /सीमित दायित्व साझेदारी - प्रबंध /प्राधिकृत साझेदार (सभी साझेदारों के व्यक्तिगत

	ब्यौरे दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें प्रबंध साझेदार को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं । हिन्दू अविभक्त कुटुंब - कर्ता कंपनी – प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति न्यास –प्रबंध न्यासी व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय – प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के व्यक्तिगत ब्यौरे दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें अध्यक्ष को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं ।) स्थानीय निकाय – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य कानूनी निकाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य अन्य – प्रभारी व्यक्ति
2.	कारबार का गठन – साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी विलेख, समिति, न्यास, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य इत्यादि में गठन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र /प्रमाण ।
3.	कारबार के मुख्य/अतिरिक्त स्थान का प्रमाण (क) अपने परिसर के लिए – परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता प्रति या विल की प्रति (ख) किराए या पट्टे के परिसर के लिए – पट्टे के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित वैध किराए /पट्टा करार की प्रति जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता प्रति या विल की प्रति (ग) उपरोक्त क और ख में न आने वाले परिसर के लिए – सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामीत्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमति पत्र की प्रति जैसे नगरपालिका खाता प्रति या विद्युत बिल प्रति । साझेदार संपत्तियों के लिए ये दस्तावेज भी अपलोड किए जाएंगे
4	बैंक खाते से संबंधित प्रमाण बैंक पासबुक/बैंक विवरण के प्रथम पृष्ठ की स्केन की हुई प्रति बैंक पासबुक के शुरुआती पृष्ठ जिसमें मालिक/संबंधित कारबार, खाता सं., खाता धारक का नाम,

	एमआईसीआर और आईएफएससी और शाखा ब्यौरे हों ।
5	प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए – प्रबंध समिति या बोर्ड निदेशकों का प्राधिकार पत्र या संकल्प की प्रति जो इस प्रभाव हेतु विनिर्दिष्ट हों

- सूचना इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के पश्चात् अपेक्षित होगी । निम्नलिखित व्यक्ति नामांकन के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं -

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजीटल हस्ताक्षर कर सकते हैं
स्वामित्व	स्वामी
साझेदारी	प्रबंध/प्राधिकृत साझीदार
हिन्दु अविभक्त परिवार	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समिति /क्लब /न्यास/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	प्रभारी व्यक्ति
लोक सैक्टर उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनलिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाविहित साझेदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
संवैधानिक निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी Partnership	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	प्रभारी व्यक्ति

- [illegible] -

क्रम सं.	आवेदक का प्रकार	डिजीटल हस्ताक्षर अपेक्षित हैं
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी लोक सैक्टर उपक्रम अनलिमिटेड कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वर्ग 2 और उसके ऊपर के
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वर्ग 2 और उसके ऊपर के ई-हस्ताक्षर

[illegible] :- 1. [illegible]. [illegible]

2. [illegible]-[illegible]

[illegible]., [illegible], [illegible], [illegible]., [illegible], [illegible]., [illegible]. [illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

अभिस्विकृति

नामांकन आवेदन – जी. एस. टी. प्ररूप – आवेदन संदर्भ संख्या (ए. आर. एन.)----- के विरुद्ध फाइल की गई

प्ररूप सं. : <.......-......>

प्ररूप विवरण : <विद्यमान करदाताओं के नामांकन के लिए आवेदन>

फाइल करने की तारीख : <दिन/मास/वर्ष>

करदाता का व्यापारिक नाम : <व्यापारिक नाम>

□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ : <□□□□□□ /□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□

अनंतिम पहचान सं. अनंतिम पहचान सं.

यह सिस्टम से सृजित पावती है और इसमें हस्ताक्षर होना अपेक्षित नहीं है ।

प्ररूप जीएसटी रजिस्ट्रीकरण -27

(नियम 24(3) देखें)

संदर्भ सं. <तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

सेवा में,

अनंतिम पहचान

नाम

पता

आवेदन संदर्भ सं. (ए.आर.एन.) < > <तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कारण बताओ नोटिस

अपने आवेदन तारीख ....का संदर्भ लें । आवेदन का परीक्षण किया गया और निम्नलिखित कारणों से यह संतोषप्रद नहीं पाया गया:-

1
2
…

आपको यह निर्देश दिया जाता है कि कारण बताओ कि आपको प्रदत्त अनंतिम प्रमाणपत्र क्यों न रद्द कर दिया जाए।

हस्ताक्षर

उचित प्राधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता

तारीख

स्थान

प्ररूप जीएसटी रजिसट्रीकरण -28

(नियम 24(3) देखें)

संदर्भ सं. <तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

सेवा में,

पहचान
नाम
पता
माल और सेवा कर पहचान सं. /अनंतिम पहचान

आवेदन संदर्भ सं. (ए.आर.एन.) < > <तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

अनंतिम रजिसट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आदेश

आपके द्वारा कारण बताओ नोटिस तारीख................ के संबंध में आपके उत्तर तारीख .... के संदर्भ में --

☐ कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया है; या
☐ सुनवाई के लिए नियत दिन पर आप उपस्थित नहीं हुए; या
☐ अधोहस्ताक्षरी ने आपके उत्तर और सुनवाई के समय किए गए कथनों का परीक्षण किया और उनका विचार यह है कि आपका अनंतिम रजस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने का दायी है ।

1.
2.

<u>अनंतिम रजिसट्रीकरण के रद्दकरण के अनुसरण में संदेय रकम का अवधारण</u>

तदनुसार आपके द्वारा संदेय रकम और उसकी संगणना तथा उसके आधार निम्नलिखित हैं:

आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि निम्नलिखित रकम तारीख .... तक या उससे पूर्व संदेय करें जिसके असफल होने पर रकम इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए हुए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में वसूल की जाएगी ।

शीर्ष	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
कुल					

स्थान:

तारीख: **हस्ताक्षर**

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता

प्ररुप जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण -29

[**नियम 24(4) देखें**]

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन

भाग क

(i) अनंतिम आई डी	
(ii) ईमेल आई डी	
(iii) मोबाईल नंबर	

भाग ख

1. विधिक नाम (स्थाई खाता संख्या के अनुसार)	

2. पत्र-व्यवहार के लिए पता

भवन संख्या/ फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर का नाम/भवन		सड़क/गली	
शहर/कस्बा / गांव/परिक्षेत्र		जिला	
ब्लाक/ताल्लुका			
राज्य		पिन	

3- रद्दकरण के कारण	

1. जी.एस.टी अवधि के दौरान कोईकर बीजक आपने जारी किया है   हां ☐   नहीं ☐

2. घोषणा

(i) मैं <स्वत्वधारी/कर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>,< विधिक नाम> के <पदनाम > के रुप में एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन मैं रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं हूं ।

6.सत्यापन

मैं < > सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि यहां ऊपर दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास में सही और सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

आधार सं.		स्थाई खाता सं.	

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

पूरा नाम	

पदनाम/प्रास्थिति	
स्थान	
तारीख	तारीख/मास/वर्ष

प्ररुप जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण -30

*[***नियम 25 देखें***]*

क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्ररुप

राज्य अधिकारिता (वार्ड/सर्किल/जोन)

अधिकारी का नाम:- <<पहले से भरा जाए >>

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख:-

करादेय व्यक्ति का नाम

जी एस टी आई एन/यू आई एन –

द्वारा समनुदेशित कार्य:- < अधिकारी का नाम- पहले भरा जाए>

समनुदेशित कार्य दिये जाने की तारीख और समय:- < प्रणाली तारीख और समय>

क्रम सं.	विशिष्टियां	इनपुट
1.	निरीक्षण की तारीख	
2.	निरीक्षण का समय	
3.	अवस्थान ब्यौरा	
	उत्तर–द्वारा आबद्ध	दक्षिण– द्वारा आबद्ध
	पश्चिम– द्वारा आबद्ध	पूर्व- द्वारा आबद्ध
4.	क्या पता वहीं है जैसा आवेदन में वर्णित है	हां/नही
5.	निरीक्षण के समय उपलब्ध व्यक्ति की विशिष्टियां	
(i)	नाम	
(ii)	पिता का नाम	
(iii)	आवासीय पता	
(iv)	मोबाईल संख्या	
(v)	पदनाम/प्रास्थिति	
(vi)	करादेय व्यक्ति के साथ संबंध, यदि लागू हो	
6.	कारबार की क्रियाशीलता की प्रास्थिति	कार्यशील- हां/नही
7.	परिसर का ब्यौरा	
	खुली जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग)	
	छत्तदार जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग)	

	तल जिस पर कारबार परिसर स्थित है	
8.	सत्यापित दस्तावेज	हां/नही
9.	स्थान के साथ व्यक्ति, जो उस स्थान पर मौजूद है जहां स्थल का सत्यापन किया गया, का फोटो अपलोड करना ।	
10.	टिप्पणी(100 शब्दों<से अनधिक> **हस्ताक्षर** <अधिकारी का नाम> स्थान: तारीख: पदनाम अधिकारिता	

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

भाग-क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र – जिला -

(i)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या, यदि कोई हो	
(iii)	पासपोर्ट संख्या, यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं है	
(iv)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (स्थायी खाता संख्या के अनुसार)	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी खाता संख्या	
(vii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता	
(viii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नं. (+91)	
टिप्पणी - जहां व्यवहार्य हो, भाग – ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन है।		

भाग-ख

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे (भारत का निवासी होना चाहिए)		
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
	फोटो		
	लिंग		पुरूष/स्त्री/अन्य
	पदनाम		
	जन्म की तारीख		तारीख/मास/वर्ष
	पिता का नाम		
	राष्ट्रीयता		